अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

बैंकों के प्रतिस्पर्धी और उनके पूरक के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआइ) का भारतीय वित्तीय प्रणाली में अनन्य स्थान है और ये भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के अधिक तीव्र हो जाने के कारण इस क्षेत्र में उसका कुछ प्रभाव पड़ा जिसके कारण एनबीएफआइ को चलनिधि की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)के अंतर्गत केवल एनबीएफसी की निधीयन आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों के लिए विशेष नियत अवधि दर रिपो लागू किया। इसके अलावा एनबीएफसी को चलनिधि उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2008 से कतिपय एहतियाती उपाय किए। इन उपायों ने उस समय निर्मित हो रहे बाजार दबावों से निपटने में परोक्ष रूप से सहायता की। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआइएफआइ) को 16,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई। एक्ज़िम बैंक और एनएचबी के लिए समग्र संसाधन जुटाने की सीमा और अंब्रेला सीमा में वृद्धि की गई; कुछ चयनित एआइएफआइ को बाजार आधारित परिपक्वता आय (वाइटीएम) का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई। वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) ने स्वीकृत वित्तीय सहायता और उसके संवितरण, तुलनपत्र के आकार और विशुद्ध लाभ के संदर्भ में उत्कृष्ट निष्पादन दर्शाया। एआइएफआइ द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत लागत में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में एफआइ की आस्ति-गुणवत्ता में सुधार आया। वैश्विक वित्तीय संकट उपस्थित होने से पूर्व ही भारत में एनबीएफआइ संबंधी विनियमों को क्रमिक रूप से सुदृढ़ किया गया था। रिज़र्व बैंक ने जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर), एक्सपोज़र मानदंडों तथा आस्तियों के वर्गीकरण के रूप में विनियामक और पर्यवेक्षी नीति की दिशा में पहल की है। यद्यपि इसी अवधि के दौरान मुख्यतः जमानती ऋणों और सरकारी प्रतिभूतियों में गिरावट के कारण प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के तुलनपत्रों के आकार में कमी आई तथापि उनके वित्तीय सूचकों यथा- विशुद्ध लाभ और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ में 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई।

1. परिचय

6.1 यद्यपि भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों का दबदबा है, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआइ) भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय सेवाओं की विस्तृत शृंखला उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंक भुगतान और चलनिधि से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी हैं, वहीं एनबीएफआइ बढ़ी हुई इक्विटी और जोखिम आधारित उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। एनबीएफआइ कार्यात्मक रूप में तथा कार्य की प्रकृति और आकार के संदर्भों में विषम समूह के रूप में हैं। एनबीएफआइ समूह में सम्मिलित प्रमुख मध्यस्थों में विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआइ), बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), प्राथमिक व्यापारी (पीडी) तथा पूंजी बाजार मध्यस्थ यथा - म्यूच्युअल फंड आते हैं। एनबीएफआइ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मध्यावधि से दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराते हैं।

6.2 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट और वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) पर उसके दुष्परिणामों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वृद्धि की गति में आई शिथिलता को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। प्रणाली में चलनिधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करने और सभी उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण प्रवाह के योग्य स्थितियां निर्मित करने के लिए, विशेष रूप से गृहनिर्माण कार्य तथा निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजनार्थ, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2008 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) को विशेष पुनर्वित्तीयन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सिडबी, एनएचबी और एक्ज़िम बैंक द्वारा जुटाए गए समग्र संसाधन के लिए सीलिंग तथा एनएचबी और एक्ज़िम बैंक के लिए 'अंब्रेला सीमा' भी बढ़ा दी गई है। रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी कंपनियों के लिए भी नीतिगत पहलें की हैं। रुपया चलनिधि में विस्तार के लक्ष्य के लिए उपाय स्वरूप रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत विशेष रिपो विंडो उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को चलनिधि उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ एक मौजूदा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का उपयोग किया गया। दिसंबर 2008 में प्रणालीगत रूप से आवश्यक गैर-जमावाले एनबीएफसी (एनबीएफसी- एनडी-एसआइ) को अस्थायी उपाय के तौर पर कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई कि वे अनुमोदन मार्ग से विदेशी मुद्रा अल्पावधिक उधारियां ले सकें।

6.3 2008-09 के दौरान एफआइ अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सिडबी, एनएचबी और एक्ज़िम बैंक के सम्मिलित तुलनपत्रों में विस्तार होता रहा। एफआइ के वित्तीय निष्पादन में भी सुधार आया। 2008-09 के दौरान इन एफआइ की निवल ब्याज आय और गैर-ब्याज आय दोनों में ही वृद्धि हुई। एफआइ की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया क्योंकि 2008-09 के दौरान निवल ऋण के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी आई। भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफआइ लगातार वित्तीय रूप से मजबूत होते रहे क्योंकि रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में जारी वित्तीय संकट के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए थे।

6.4 एनबीएफसी लंबे समय से वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतियोगिता में थे और अनुपूरक भी थे। कुल वित्तीय प्रणाली में आस्ति का 9.1 प्रतिशत हिस्सा समग्र रूप से एनबीएफसी का है। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए), 2009 ने टिप्पणी की है कि एनबीएफसी ने लाइसेंस देने के मानदंडों, अनुमत कार्यकलापों, पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, ऋण जोखिम, फंसी हुई आस्ति, बृहदाकार एक्सपोज़रों, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण, पर्यवेक्षी तकनीकों और पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग संबंधी क्षेत्रों में आम तौर पर अनुपालन किया है। तथापि मूल्यांकन से आपसी सहयोजन, महत्वपूर्ण स्वामित्व अंतरण, बड़े अभिग्रहणों, संबंधित पक्षों, बाजार, चलनिधि के प्रति एक्सपोज़र और बैंकिंग बहियों में परिचालनात्मक जोखिमों, आंतरिक नियंत्रण और ब्याज दर जोखिम के क्षेत्रों में कई खामियों का पता चला है। इन सबके बारे में सीएफएसए की सिफारिशों पर रिज़र्व बैंक विचार करेगा।

6.5 सरकारी प्रतिभूति बाजार में बाजार की आधारभूत संरचना को मजबूत और सशक्त, चलनिधियुक्त और अधिक व्यापक बनाने के इरादे से रिज़र्व बैंक द्वारा 1995 में प्राथमिक व्यापारी (पीडी) प्रणाली की स्थापना की गई । पीडी प्रणाली की डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई है कि वह मूल्य अभिज्ञान, चलनिधि और टर्नओवर में वृद्धि तथा व्यापक निवेशक आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को बढ़ावा देकर सरकार के बाजार उधारी कार्यक्रम में सुविधा प्रदान करती है तथा द्वितीयक बाजार ट्रेडिंग प्रणाली में सुधार करती है। पीडी प्रणाली का विकास कई वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से किया गया है और वर्तमान में यह प्रणाली खुला बाजार परिचालनों का संचालन करने में प्रभावी माध्यम का काम करती है। सितंबर 2009 के अंत में 19 पीडी कार्यरत थे जिनमें से 11 बैंक पीडी थे और 8 स्टैंडअलोन पीडी थे।

6.6 इस परिप्रेक्ष्य में, 5 खंडों में विभाजित यह अध्याय खंड 2 में एफआइ के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करता है। खंड 3 में एनबीएफसी और आरएनबीसी की प्रवृत्तियों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। पीडी की गतिविधियों और उनके कार्य-निष्पादन का वर्णन विस्तारपूर्वक खंड 4 में किया गया है, और अंतिम खंड 5 में निष्कर्षों का उल्लेख है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.7 वित्तीय संस्थाओं (एफआइ)द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियों के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम,वे हैं जो सावधि उधारदाता संस्थाएं (एफआइ) हैं - एक्जिम बैंक, जिसका मूल कार्य है सावधि ऋण और निवेश के रूप में प्रत्यक्ष उधार प्रदान करना। द्वितीय हैं पुनर्वित्तीय संस्थाएं जैसे - नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी जो मूल रूप से बैंकों को तथा एनबीएफआइ को पुनर्वित्त उपलब्ध कराती हैं। तृतीय वर्ग में निवेश संस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में अपनी आस्तियां विनियोजित करती हैं जैसे - एलआइसी। राज्य/क्षेत्रीय स्तर की संस्थाएं एक सर्वथा अलग प्रकार का समूह है जिसमें राज्य वित्तीय

निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक और विकास निगम (एसआइडीसी) तथा उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआइ) का समावेश है। इनमें से कुछ वित्तीय संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6.8 31 मार्च 2009 को एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी ये चार वित्तीय संस्थाएं ऐसी थीं जो संपूर्णतया रिज़र्व बैंक के विनियमनों और पर्यवेक्षण में कार्यरत हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आइआइबीआइ) एक वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

6.9 उभरती हुई वैश्विक गतिविधियों और वित्तीय संस्थाओं पर उनके दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक को कुछ एफआइ से चलनिधि सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि ये संस्थाएं एचएफसी/एनबीएफसी/एमएफआइ और निर्यातकों को ऋण प्रदान कर सकें। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार कई उपाय किए हैं :

सिडबी, एक्जिम बैंक और एनएचबी को पुनर्वित्त सुविधा

6.10 निरंतर चल रहे वैश्विक वित्तीय संकट के दबाव में आ चुके क्षेत्रों के ऋण प्रवाह में तेजी लाने के उपाय स्वरूप दिसंबर 2008 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत सिडबी, एक्जिम बैंक और एनएचबी को क्रमशः 7,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।उक्त सुविधा के अंतर्गत उपरिलिखित एफआइ द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त करने की सीमा 90 दिनों की रखी गई और सीमा अवधि के अंतर्गत राशि का आहरण और चुकौती अपनी सुविधानुसार की जा सकती थी। यह सुविधा आगे 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई जा सकती है।इस सुविधा के अंतर्गत अग्रिमों पर रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिपो दर पर प्रभार वसूल किया जाता है। इस पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग संबंधित वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार तथा इन संस्थाओं के लिए विद्यमान एक्सपोजर मानदंडों के अनुरूप किया जाना चाहिए। निगरानी की सुविधा के लिए वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे पुनर्वित्त सुविधा के उपयोग संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। फरवरी 2009 तक प्रत्येक संस्था के लिए विशेष वित्तीय सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि अल्पमात्रा में थी परंतु बाद के महीनों में इसमें तेजी आई। जून 2009 के अंत में पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग सारणी VI.1 में दर्शाया गया है।

सिडबी, एनएचबी और एक्जिम बैंक द्वारा जुटाए गए सकल संसाधनों की अधिकतम सीमा

6.11 सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर हाल के तुलनपत्र के अनुसार जुटाए गए सकल संसाधनों की सीलिंग को विद्यमान एनओएफ के 10 गुणकों के मानदंड से बढ़ाकर 8 दिसंबर 2008 से एक वर्ष के लिए सिडबी और एनएचबी के मामले में निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) का 12 गुणक तथा एक्जिम बैंक के लिए उनकी एनओएफ का 13 गुणक कर दिया गया है।

एक्जिम बैंक और एनएचबी के लिए अंब्रेला सीमा

6.12 एफआइ जिसमें पांच विनिर्दिष्ट लिखतों - सावधि जमा, सावधि मुद्रा उधारियां, जमा प्रमाणपत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और इंटर कारपोरेट जमा (आइसीडी) के द्वारा सकल उधारियां सम्मिलित हैं, के लिए 'अंब्रेला सीमा' उनकी अद्यतन अंकेक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनके एनओएफ के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 दिसंबर 2008 से एक्जिम बैंक के लिए और 15 जनवरी 2009 से एनएचबी के लिए अंब्रेला सीमा एक वर्ष

सारणी VI.1:पुनर्वित्त सुविधाओं का उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

एआइ-एफआइ	स्वीकृत पुनर्वित्त	26 जून 2009 को आहरित संचयी राशि	26 जून 2009 को संवितरित संचयी राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
सिडबी	7,000	5,684	4,971	33*
		988	1,043	22**
		7,747	1,841	5,179
एक्जिम बैंक	5,000	3,000	3,478	35
एनएचबी	4,000	3,979	3,979	14#
योग	**16,000**	**21,398**	**15,312**	**5,283**

* : राज्य वित्त निगम (एसएफसी) तथा बैंक
** : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
# : आवास वित्तीय कंपनियां (एचएफसी)

की अवधि के लिए बढ़ाकर उनके एनओएफ का 200 प्रतिशत कर दी गई जो पुनरीक्षा करने तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)दिशानिर्देशों को मानने की शर्तों पर था।

चयनित एआइएफआइ द्वारा परिपक्वता पर बाजार संबद्ध यील्ड (वाइटीएम) प्रदान करने की अनुमति

6.13 चयनित एफआइ यथा - सिडबी, एनएचबी, एक्जिम बैंक, नाबार्ड अपने बांड/डिबेंचर जारी करते समय परिपक्वता पर बाजार संबद्ध यील्ड (वाइटीएम) का प्रस्ताव कर सकते हैं। तदनुसार वर्तमान में लागू यह शर्त कि बांडों को जारी करते समय परिपक्वता पर दी जानेवाली यील्ड भारत सरकार की प्रतिभूतियों की समान अवशिष्ट परिपक्वताओं पर वाइटीएम के ऊपर 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए - 8 दिसंबर 2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होगी।

चयनित एआइएफआइ के अग्रिमों की पुनर्संरचना के बारे में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

6.14 बैंकों को जारी अग्रिमों की पुनर्संरचना के लेखांकन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देश चयनित एफआइ पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। एफआइ द्वारा जो गतिविधियां सामान्य रूप से नहीं की जाती हैं (यथा - कार्यशील पूंजी, ओवरड्राफ्ट और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना), उनसे संबंधित प्रावधान इन एफआइ पर लागू नहीं होंगे।

वित्तीय संस्थाओं के परिचालन

6.15 एफआइ द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई। वित्तीय स्वीकृतियों और संवितरणों में वृद्धि का सबसे बड़ा भाग मुख्य रूप से निवेश संस्थाओं (विशेष रूप से एलआइसी) और इसके बाद सावधि उधार राशियां देनेवाली संस्थाओं का रहा (सारणी VI.2 और परिशिष्ट सारणी VI.1)।

6.16 यद्यपि वर्ष 2008-09 के दौरान एफआइ द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता दोनों में ही वृद्धि रही तथापि संवितरण में हुई वृद्धि (93.3 प्रतिशत) स्वीकृतियों (70.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक ठोस थी (सारणी VI.2)(चार्ट VI.1)।

एफआइ की आस्ति और देयताएं

6.17 कुछ चयनित एफआइ (नाबार्ड,एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक) के सम्मिलित तुलनपत्र में वर्ष 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत का तीव्र विस्तार हुआ। देयता पक्ष में 2008-09 के दौरान बांड और डिबेंचरों द्वारा जुटाए गए संसाधनों में 9.3 प्रतिशत की कमी आई। तथापि जमाराशियों और उधार दी गई राशियों में क्रमशः 80.7 प्रतिशत और 20.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिमों में 21.5 प्रतिशत का विस्तार रहा तथा निवेश पोर्टफोलियो में भी 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नकद और बैंक शेष, और अन्य

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

श्रेणी	राशि				घटबढ़ प्रतिशत	
	2007-08		2008-09		2008-09	
	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थाएं*	18,696	17,379	33,660	31,604	80.0	81.9
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	366	189	597	283	63.1	49.7
(iii) निवेश संस्थाएं@	39,670	28,460	65,731	57,086	65.7	100.6
एफआइ द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	**58,732**	**46,028**	**99,988**	**88,973**	**70.2**	**93.3**

स्वी : स्वीकृति संवि.: संवितरण
* : आइएफसीआइ, सिडबी और आइआइबीआइ के संबंध में।
# : आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर ओर टीएफसीआइ के संबंध में।
@ : एलआइसी और जीआइसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरी (एनआइए, यूआइआइसी और ओआइसी) के संबंध में।
टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

चार्ट VI.1: एआइएफआइ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

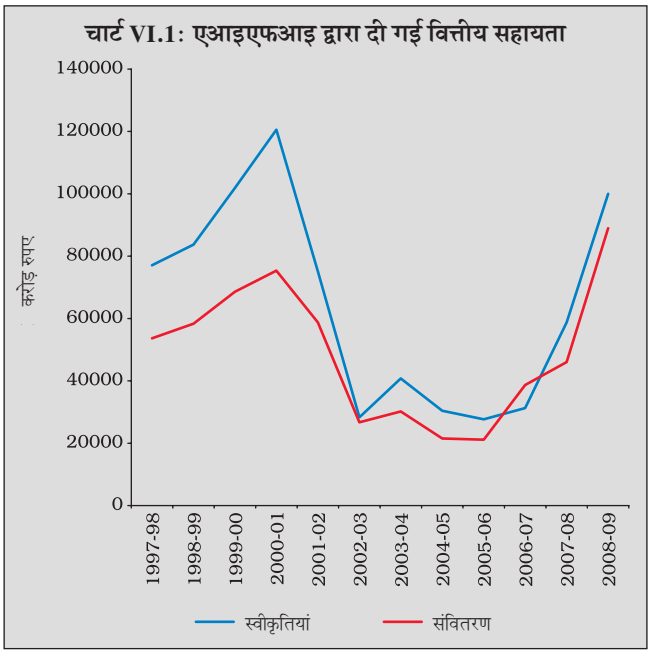

आस्तियों में क्रमशः 22.7 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। देयता में जमाराशियों का हिस्सा 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 30.2 प्रतिशत हुआ जबकि अन्य मदों में मामूली कमी दर्ज हुई। 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान आस्ति की संरचना लगभग अपरिवर्तित रही।

एफआइ द्वारा जुटाए गए संसाधन

6.18 एफआइ द्वारा 2008-09 के दौरान जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च थे। यद्यपि जुटाए गए अल्पावधि संसाधनों में 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई तथापि जुटाए गए दीर्घावधि और विदेशी मुद्रा संसाधनों में कमी आई। संसाधनों में सर्वाधिक बृहद् राशि एनएचबी ने जुटाई जिसके बाद एक्जिम बैंक और सिडबी आते थे। 2008-09 के दौरान एक्जिम बैंक द्वारा जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में कमी आई जबकि सिडबी द्वारा जुटाए गए इन संसाधनों में तीव्र विस्तार हुआ (सारणी VI.4 और परिशिष्ट सारणी VI.2)।

6.19 एफआइ द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधनों के उपयोग में 2008-09 के दौरान तीव्र वृद्धि रही जिसके चलते अंब्रेला सीमा पिछले वर्ष के 22.9 प्रतिशत की तुलना में 58.0 प्रतिशत पर जा पहुंची (सारणी VI.5)।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयता और आस्ति

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		घटबढ़ प्रतिशत
	2008	2009	2008-09
1	2	3	4
देयताएं			
1. आस्ति	4,000 (2.2)	4,300 (2.0)	7.5
2. आरक्षित निधि	17,137 (9.5)	19,069 (8.8)	11.3
3. बांड और डिबेंचर	57,741 (32.1)	52,390 (24.1)	-9.3
4. जमाराशि	36,298 (20.2)	65,591 (30.2)	80.7
5. उधार राशियां	33,716 (18.7)	40,443 (18.6)	20.0
6. अन्य देयताएं	31,020 (17.2)	35,579 (16.4)	14.7
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,79,912 (100.0)**	**2,17,372 (100.0)**	**20.8**
आस्तियां			
1. नकद और बैंक शेष	15,835 (8.8)	19,430 (8.9)	22.7
2. निवेश	6,694 (3.7)	8,155 (3.8)	21.8
3. ऋण और अग्रिम	1,47,008 (81.7)	1,78,595 (82.2)	21.5
4. भुनाए/पुर्नभुनाए गए बिल	2,044 (1.1)	2,145 (1.0)	5.0
5. अचल आस्तियां	539 (0.3)	570 (0.3)	5.6
6. अन्य आस्तियां	7,792 (4.3)	8,477 (3.9)	8.8

टिप्पणियां: 1) ये आंकड़े 4 एफआइ यथा - नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक के हैं। आइआइबीआइ लि. 31 मार्च 2009 को स्वैच्छिक समापन के अंतर्गत था।

2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : 1. संबंधित एफआइ के तुलनपत्र ।

2. एनएचबी की गैर लेखापरीक्षित ऑसमॉस विरणियां ।

निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

6.20 एफआइ की निधियों के कुल स्रोतों/नियोजनों में 2008-09 के दौरान 39 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। एफआइ निधियों का 65.0 प्रतिशत आंतरिक रूप से जुटाया गया था जिसमें 91.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।2008-09 के दौरान निधियों के स्रोतों में बाह्य स्रोतों का योगदान पिछले वर्ष में रहे 51.7 प्रतिशत की तुलना में 30.7 प्रतिशत था जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों में आई उथल-

सारणी VI.4 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल बकाया (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		योग			
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	6,825	3,197	2,180	8,905	5,553	3,800	14,558	15,902	31,716	37,202
नाबार्ड	12,198	4,252	1,422	3,494	–	–	13,620	7,746	32,630	26,867
एनएचबी	3,100	3,124	8,016	16,881	–	–	11,116	20,005	17,313	16,503
सिडबी	4,531	5,625	461	8,811	92	1,361	5,084	15,797	14,665	24,487
योग	**26,654**	**16,198**	**12,079**	**38,091**	**5,645**	**5,161**	**44,378**	**59,450**	**96,324**	**1,05,059**

-: शून्य/नगण्य

टिप्पणियां: दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांड/डिबेंचर से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं; और अल्पावधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमा राशियां, आइसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।

स्रोत : संबंधित एफआइ।

पुथल के कारण 17.4 प्रतिशत की कमी आई। 2008-09 के दौरान जुटाई गई निधियों के सर्वाधिक बड़े भाग (65.5 प्रतिशत) का उपयोग नए नियोजनों के लिए किया गया, जिसके बाद भूतकाल की उधार राशियों की चुकौती (19.0 प्रतिशत) के लिए किया गया। 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान नए नियोजनों में 55.1 प्रतिशत और अन्य नियोजनों में 137.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.6 और परिशिष्ट सारणी VI.3)

उधार राशियों की लागत और परिपक्वता

6.21 एआइएफआइ द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत लागत में 2008-09 के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति रही (सारणी VI.7 और परिशिष्ट सारणी VI.4)।2008-09 के दौरान केवल एक्जिम बैंक और एनएचबी को छोड़कर एफआइ द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता में वृद्धि हुई।

सारणी VI.5: मुद्रा बाजार से वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
क. योग	**3,293**	**4,458**	**15,247**
i) सावधि जमाराशियां	89	508	2,222
ii) सावधि मुद्रा	–	250	1,184
iii) अंतर कारपोरेट जमाराशियां	–	–	–
iv) जमा प्रमाणपत्र	663	2,286	5,633
v) वाणिज्यिक पत्र	2,540	1,414	6,207
ज्ञापन :			
ख.अंब्रेला सीमा	**19,001**	**19,500**	**26,292**
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग ('ख' के प्रतिशत के रूप में 'क')	**17.3**	**22.9**	**58.0**

-: शून्य/नगण्य

स्रोत : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन संबंधी पाक्षिक विवरणी।

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09	घटबढ़ प्रतिशत 2008-09
1	2	3	4
क. निधियों का स्रोत (i+ii+iii)	**2,13,954 (100.0)**	**2,97,296 (100.0)**	**39.0**
(i) आंतरिक	1,00,944 (47.2)	1,93,294 (65.0)	91.5
(ii) बाह्य	1,10,604 (51.7)	91,314 (30.7)	-17.4
(iii) अन्य@	2,406 (1.1)	12,688 (4.3)	427.3
ख. निधियों का नियोजन (i+ii+iii)	**2,13,954 (100.0)**	**2,97,296 (100.0)**	**39.0**
(i) नए नियोजन	1,25,522 (58.7)	1,94,711 (65.5)	55.1
(ii) भूतकाल की उधार राशियों की चुकौती	69,096 (32.3)	56,592 (19.0)	-18.1
(iii) अन्य नियोजन	19,333 (9.0)	45,993 (15.5)	137.9
जिनमें से :			
ब्याज का भुगतान	6,916 (3.2)	8,809 (3.0)	27.4

* : एक्जिम बैंक, नाबार्ड,एनएचबी और सिडबी

@: बैंकों में नकदी और शेष, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में शेष राशियां सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.7: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
एक्जिम बैंक	8.2	9.0	3.0	2.5
सिडबी	8.2	6.5	1.0	3.4
नाबार्ड	9.5	9.5	4.0	4.3
एनएचबी	7.7	7.4	2.8	2.8

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

उधार दरें

6.22 पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक ने अपनी मूल उधार दरों (पीएलआर) में मामूली वृद्धि की (सारणी VI.8)।

सारणी VI.8: चयनित वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एनएचबी	एक्जिम बैंक	टीएफसीआइ
1	2	3	4
मार्च 2008	10.50	13.50	12.00
मार्च 2009	10.75	14.00	12.50

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

6.23 एफआइ की निवल ब्याज आय और गैर ब्याज आय में क्रमशः 22.5 प्रतिशत और 31.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि पिछले वर्ष आयी कमी के विपरीत 2008-09 के दौरान वेतन बिलों में 26.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान परिचालनात्मक लाभ में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एफआइ के निवल लाभ में आयकर निर्धारण के लिए किए गए उच्च प्रावधानों के बावजूद वृद्धि हुई (सारणी VI.9)।

सारणी VI.9: चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09	घटबढ़			
			2007-08		2008-09	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क. ब्याज (अ +आ)	**11,541**	**14,274**	**2,467**	**27.2**	**2,733**	**23.7**
अ) ब्याज आय	9,934	12,169	1,796	22.1	2,234	22.5
	(86.1)	(85.3)				
आ) गैर ब्याज आय	1,607	2,106	671	71.8	499	31.1
	(13.9)	(14.8)				
ख. व्यय (अ+आ)	**8707**	**10,492**	**1,812**	**26.3**	**1,785**	**20.5**
अ) ब्याज व्यय	7,277	8,977	1,362	22.9	1,699	23.4
	(83.6)	(85.6)				
आ) परिचालन व्यय	1,430	1,516	450	46.6	86	6.0
	(16.4)	(14.4)				
जिनमें से: वेतन बिल	287	362	-139	-32.7	76	26.4
ग. आय कर के लिए प्रावधान	**936**	**1,190**	**304**	**48.1**	**254**	**27.2**
घ. लाभ						
परिचालन लाभ (पीबीटी)	2,834	3,782	656	30.1	948	33.5
निवल लाभ (पीएटी)	1,898	2,592	352	22.7	694	36.6
ङ. वित्तीय अनुपात@						
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.6	1.7				
निवल लाभ (पीएटी)	1.1	1.2				
आय	6.4	6.6				
ब्याज आय	5.5	5.6				
अन्य आय	0.9	1.0				
व्यय	4.8	4.8				
ब्याज व्यय	4.0	4.1				
अन्य परिचालन व्यय	0.8	0.7				
वेतन बिल	0.2	0.2				
प्रावधान	0.5	0.6				
स्प्रेड (विशुद्ध ब्याज आय)	1.4	1.4				

@ : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित एफआइ के वार्षिक लेखा विवरण 2, एनएचबी की गैर लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां (जून के अंत में)।

सारणी VI.10: वित्तीय संस्थाओं के चयनित वित्तीय मानदंड
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/ औसत कार्यकारी निधि		गैर ब्याज आय/ औसत कार्यकारी निधि		परिचालनात्मक लाभ/औसत कार्यकारी निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रु. में)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्ज़िम बैंक	7.6	7.8	1.2	0.8	2.3	2.4	1.0	1.2	1.5	2.1
नाबार्ड	6.1	6.5	0.1	0.1	2.0	1.9	1.4	1.3	0.3	0.3
एनएचबी*	7.5	8.0	0.3	0.3	1.1	1.7	0.6	1.2	..	..
सिडबी	8.5	8.8	0.7	1.1	3.1	5.3	1.6	3.1	0.2	0.3

.. : उपलब्ध नहीं ।
* : ऑसमोस विवरणियों के अनुसार जून अंत में स्थिति। एनएचबी के मामले में औसत कार्यकारी निधियों के बदले में कुल आस्तियां ली गयी हैं।
स्रोत: 1. संबंधित एफआइ ।
2. एनएचबी की गैर लेखा परीक्षित ऑफ साइट विवरणियां।

6.24 कार्यशील निधियों के प्रतिशत रूप में ब्याज आय और गैर ब्याज आय (केवल एक्ज़िम बैंक को छोड़कर) सभी एफआइ के मामलों में बढ़ी है। केवल नाबार्ड को छोड़कर सभी एफआइ के लिए कार्यशील निधियों के प्रतिशत रूप में परिचालनात्मक प्रतिलाभ में और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक उच्च प्रतिलाभ सिडबी की औसत आस्तियों पर हासिल हुई जिसके बाद नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक और एनएचबी आते थे (सारणी VI.10)।

स्वस्थता सूचक : आस्ति गुणवत्ता

6.25 यह काफी महत्वपूर्ण है कि चले आ रहे वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्परिणामों के होते हुए भी एफआइ की आस्ति गुणवत्ता में 2008-09 के दौरान सुधार आया है। निवल ऋण अनुपात के प्रति विशुद्ध एनपीए के संदर्भ में सिडबी और एक्ज़िम बैंक की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष के दौरान सुधार आया है। तथापि, नाबार्ड के निवल एनपीए अनुपात में मामूली वृद्धि रही है (सारणी VI.11)।

6.26 एफआइ की मानक आस्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में भी आस्ति गुणवत्ता में सुधार पाया गया, केवल एनएचबी को छोड़कर जिनकी मानक आस्तियों में मामूली गिरावट देखी गई। इसके अलावा मार्च 2009 के अंत में किसी भी एफआइ की आस्ति 'हानि' में वर्गीकृत नहीं हुई थी (सारणी VI.12)।

पूंजी पर्याप्तता

6.27 सभी एफआइ की पूंजी पर्याप्तता का अनुपात न्यूनतम विनिर्दिष्ट 9 प्रतिशत के मानदंड से महत्वपूर्ण रूप से उच्च रहा। इसके होते हुए भी नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी का सीआरएआर पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में न्यून रहा यद्यपि एक्ज़िम बैंक के सीआरएआर में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई (सारणी VI.13)।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.28 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में किया गया संशोधन (जनवरी 1997)रिज़र्व बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को विनियमित करने के लिए विस्तृत विधायी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। संशोधित अधिनियम में सभी एनबीएफसी का पंजीकरण करना और न्यूनतम एनओएफ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके द्वारा रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी के लिए आय निर्धारण, लेखा मानकों, अनर्जक आस्तियों, पूंजी पर्याप्तता इत्यादि और साथ

सारणी VI.11: निवल अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्ति		निवल अनर्जक आस्ति/ निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5
एक्ज़िम बैंक	83	79	0.29	0.23
नाबार्ड	19	30	0.02	0.03
एनएचबी*	–	–	–	–
सिडबी	49	26	0.25	0.08
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआइ)	151	135	0.10	0.07

-: शून्य/नगण्य
* : ऑसमोस विवरणियों के अनुसार जून के अंत में स्थिति।
स्रोत: संबंधित एफआइ ।

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		घाटा	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्ज़िम बैंक	28,694	34,077	41	21	42	58	–	–
नाबार्ड	82,853	98,822	2	7	17	23	–	–
एनएचबी*	17,427	16,851	–	–	–	–	–	–
सिडबी	19,927	30,854	24	23	25	3	–	–
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआइ)	1,48,901	1,80,605	67	51	84	85	–	–

-: शून्य/नगण्य

* : जून अंत की स्थिति।

स्रोत: 1. संबंधित एफआइ ।

2. एनएचबी की गैर लेखा परीक्षित ऑफ साइट विवरणियां।

ही प्रयोजन, जिनके लिए अग्रिम दिए जाएंगे, के संबंध में नीतियां तय करने और उन्हें निदेश देने का अधिकार भी मिला हुआ है।

विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय

6.29 गैर बैंकिंग संस्थाओं के विनियमन को निरंतर मजबूत बनाया जा रहा है और यह प्रक्रिया वैश्विक वित्तीय संकट उपस्थित होने के पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है। बैंक प्रायोजित एनबीएफसी और गैर बैंक एनबीएफसी के बीच समान अवसर दिए जाने से संबंधित मुद्दों और विनियामक एकरूपता (कनवर्जन्स) लाने तथा विनियामक आर्बीट्रेज जैसे मुद्दों की जांच प्रणालीगत प्रभावों के संदर्भ में की गई। 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्तिवाली जमा स्वीकार न करनेवाली एनबीएफसी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माना गया तथा एक विस्तृत विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क लागू किया गया।

6.30 आरंभिक तौर पर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर विनियामक सतर्कता जनता से जमाराशियां स्वीकार करनेवाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) पर आम तौर पर केंद्रित होती थी। वर्षों के दौरान विनियामक फ्रेमवर्क का विस्तार कर उसमें प्रणालीगत महत्व के मुद्दों को सम्मिलित किया गया। क्षेत्र का समेकन हुआ और जबकि जमा स्वीकार करनेवाले एनबीएफसी के आकार में और उनके द्वारा धारित जमाराशियों की मात्रा के संदर्भ में कमी आई, एनबीएफसी-एनडी की संख्या और आस्ति में वृद्धि हुई । एनबीएफसी-एनडी-एसआइ (100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति आकारवाले एनबीएफसी-एनडी) के द्वारा सीआरएआर और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट एक्सपोजर मानदंड का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है ।

सारणी VI.13: चयनित वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्ज़िम बैंक	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1	16.8
नाबार्ड	36.9	39.1	39.4	38.8	34.4	27.0	26.6	25.9
एनएचबी*	22.1	27.9	30.5	22.5	22.3	21.7	24.7	17.7
सिडबी	45.0	44.0	51.6	50.7	43.2	37.5	41.8	34.2

* : जून अंत की स्थिति।

स्रोत: 1. संबंधित एफआइ ।

2. एनएचबी की गैर-लेखापरीक्षित ऑफ साइट विवरणियां ।

6.31 परिवर्तनशील विनियामक नीति यह भी स्वीकार करती है कि एनबीएफसी के वे कार्यकलाप जो उत्पादनीय आस्ति निर्माण से जुड़े हैं, पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण दिसंबर 2006 में किया गया जिसके अनुसरण में वे कंपनियां जो उत्पादक/आर्थिक कार्यकलाप के लिए वास्तविक/भौतिक आस्तियों का वित्तीयन करती हैं, उनका वर्गीकरण आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) के रूप में किया गया। एनबीएफसी के अन्य दो वर्गों में ऋण कंपनियां (एलसी) और निवेश कंपनियां (आइसी) शामिल हैं।

एनबीएफसी में धोखाधड़ी पर निगरानी

6.32 एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी के प्रति दृष्टिकोण, जिसे मार्च 2008 में जारी किया गया, में रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2008 में संशोधन किया। तदनुसार एनबीएफसी को उनकी अपनी सब्सिडियरी कंपनियों और संबंधित/संयुक्त उद्यमों में हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया गया।

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) और पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) के लिए दिशानिदेश

6.33 रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले तिमाही विवरणों के फार्मेट में सितंबर 2008 में संशोधन किया। संशोधित विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ एससी/आरसी (एफडीआइ घटकों को भी सम्मिलित करते हुए) की स्वाधिकृत निधियों की स्थिति संबंधी आंकड़ों; सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसरण में एससी/आरसी द्वारा बैंकों /एफआइ से वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण/वसूली की स्थिति; और किसी तिमाही विशेष के अंत में जारी, भुनाई गई और बकाया प्रतिभूति रसीद (एसआर) संबंधी जानकारी को भी सम्मिलित किया जाएगा।

6.34 यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एसीसी/आरसी न तो 'बैंक' है और न ही 'वित्तीय संस्था'। अतः किसी एससी/आरसी द्वारा किसी अन्य एससी/आरसी से वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण किया जाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि एससी/आरसी यदि अपनी निधियों का नियोजन एकमात्र अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के प्रयोजनार्थ अभिगृहीत ऋण खातों का पुनर्गठन करने के लिए करते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है।

पूंजी की गणना करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) और आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) का लेखांकन

6.35 डीटीए और डीटीएल के निर्मित होने के परिणामस्वरूप कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर आने की संभावना रहती है जिनका कंपनी के तुलनपत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः 31 जुलाई 2008 को एनबीएफसी को सूचित किया गया कि पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ टीयर I और टीयर II पूंजी में सम्मिलित किए जाने के लिए डीटीएल खातों के शेष को पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीटीए को अमूर्त आस्ति मानते हुए इसे टीयर I पूंजी से घटाया नहीं जाएगा। इस संबंध में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि चालू वर्ष के लिए राजस्व रिज़र्व के अथ शेष को नामे अथवा लाभ-हानि खाते को नामे करके निर्मित किए गए डीटीएल को 'अन्य देयताएं और प्रावधान' में 'अन्य' के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए तथा चालू वर्ष के लिए राजस्व रिज़र्व के अथ शेष को जमा अथवा लाभ-हानि खाते को जमा करके निर्मित किए गए डीटीए को 'अन्य आस्ति'में 'अन्य' के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।

धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 - एनबीएफसी की जिम्मेदारियां

6.36 अगस्त 2008 में एनबीएफसी, लेनदेन निगरानी मैकेनिज्म के भाग रूप में, के लिए आवश्यक था कि वे एक ऐसा सॉफ्टवेअर एप्लीकेशन लागू करें जो लेनदेनों के जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल के अनुरूप न पाए जाने पर एलर्ट कर सके। एनबीएफसी, जिनकी सभी शाखाएं अभी तक कंप्यूटरीकृत नहीं हो पाई हैं, के प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अकंप्यूटरीकृत शाखाओं में किए गए लेनदेनों के ब्योरे में से आवश्यक ब्योरे छांटकर एक जगह करके उन आकड़ों को नकदी लेनदेन रिपोर्ट(सीटीआर) और संदेहात्मक लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के एडिटेबल यूटीलिटी,जो वित्तीय आसूचना एकक (एफआइयू-आइएनडी) द्वारा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, की सहायता से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फाइल में तैयार करे। यह भी स्पष्ट किया गया जा चुका है कि एनबीएफसी की शाखाओं / कार्यालयों द्वारा अपने प्रधान अधिकारी को सूचित किए जानेवाले नकदी लेनदेन की रिपोर्टिंग (सीटीआर) बिना चूके मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाए तथा प्रधान अधिकारी आगे सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक माह के लिए सीटीआर विनिर्दिष्ट समय के भीतर एफआइयू-आइएनडी को प्रस्तुत की जाती है।

एनबीएफसी द्वारा वसूले जानेवाले अधिक ब्याज का विनियमन

6.37 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2009 में ब्याज की अधिक दरों के संबंध में कुछ निदेश जारी किए हैं । तदनुसार अब प्रत्येक एनबीएफसी के बोर्ड को एक ऐसे ब्याज दर मॉडल को अपनाना होगा जिसमें सभी संबद्ध घटकों यथा - निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम का ध्यान रखा जाता हो और जो ऋणों और अग्रिमों के लिए वसूले जानेवाले ब्याज की दरों का निर्धारण करता हो। ब्याज की दरों को वार्षिक होना चाहिए ताकि उधारकर्ता को यह जानकारी हो पाए कि उसके खाते में वास्तव में किस दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा ।

एनबीएफसी की रेटिंग

6.38 फरवरी 2009 में 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति वाले सभी एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करनेवाली और स्वीकार न करनेवाली दोनों ही) के लिए आवश्यक था कि वे अपने किसी भी उत्पाद को प्रदान की गई रेटिंग में कमी किए जाने/बढ़त होने की जानकारी इस प्रकार के रेटिंग परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे जिसके कार्यक्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता हो।

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए नीतिगत पहलें

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि और प्रकटन मानदंड संबंधी दिशानिदेश

6.39 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए जारी किए गए विद्यमान दिशानिदेशों की पुनरीक्षा की और 1 अगस्त 2008 को अंतिम दिशानिदेश जारी किए। इन दिशानिदेशों के अनुसरण में प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए न्यूनतम सीआरएआर को विद्यमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 तक 12 प्रतिशत और 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत कर दिया गया। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए तथा प्राप्त किए गए कई अनुरोधों के आधार पर इस अपेक्षा को 1 वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया । एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए आवश्यक है कि वे 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष से सीआरएआर, वास्तविक संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर और अपने तुलनपत्रों में आस्ति और देयताएं की परिपक्वता प्रवृत्ति के संबंध में अतिरिक्त प्रकटन करें।

पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए एनबीएफसी द्वारा पूंजी जुटाने के विकल्प में बढ़ोत्तरी

6.40 अक्तूबर 2008 में कारोबार बढ़ाने और पर्यवेक्षी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों में वृद्धि की आवश्यकता के मदेनजर रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि एनबीएफसी-एनडी-एसआइ शाश्वत (परपेचुअल) ऋण लिखतें (पीडीआइ) जारी करके अपनी पूंजी निधियों को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के पीडीआइ टीयर I पूंजी में सम्मिलित किए जाने हेतु पात्र होंगे परंतु पिछले वर्ष 31 मार्च को टीयर I की कुल पूंजी का 15 प्रतिशत की सीमा तक।

अल्पावधि विदेशी मुद्रा जुटाना

6.41 दिसंबर 2008 में प्रणालीगत रूप से आवश्यक समझे जानेवाले एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को अस्थायी उपाय के रूप में कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अल्पावधिक उधारियां जुटाने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस संबंध में वे सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआइ जो अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋणों का उपभोग कर चुकी थीं, को सूचित किया गया कि वे संबंधित माह समाप्ति से 10 दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट फार्मेट में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करें।

चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना

6.42 देश की ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने के लिए एमएनबीसी को 18 अगस्त 2009 से जनता से जमाराशियां, केवल शेयरधारकों को छोड़कर, स्वीकार करने पर निषेध लगाया गया जो एमएनबीसी (भारिबैं) निदेशावली दिसंबर 1977 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन था।एमएनबीसी द्वारा अभी तक स्वीकार की गई, अपने शेयरधारकों से इतर, तथा धारित जमाराशियां परिपक्वता होने पर लौटा दी जाएंगी और नवीयन के लिए ये राशियां पात्र नहीं होंगी।

जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी के अभिग्रहण/उनका नियंत्रण दूसरे हाथों में सौंपने के मामले में भारिबैं का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा

6.43 एनबीएफसी के प्रबंधन के ञ्उपयुक्त और उचितट चरित्र का सत्यापन करने में भारिबैं को सक्षम बनाने के लिए निर्णय किया गया है कि 17 सितंबर 2009 से जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी

के शेयरों का अभिग्रहण/टेकओवर अथवा जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी का विलयन/समामेलन किसी अन्य संस्था के साथ किए जाने अथवा किसी संस्था का विलयन/समामेलन जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी के साथ किए जाने, जिसके फलस्वरूप अभिग्रहणकर्ता/अन्य संस्था के हाथ में जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी का नियंत्रण आता हो, के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।इस संबंध में किए जानेवाले आवेदन गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा जिसके कार्यक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है।

ब्याज दर फ्यूचर्स लागू करना - एनबीएफसी

6.44 अंतरनिहित एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए निदेश जारी किए गए थे जिनमें भारत में स्थित एक्सचेंजों, जिन्हें सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त है, में एनबीएफसी को ब्याज दर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के लिए भारिबैंक/सेबी के दिशानिदेशों के तहत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया था।

एनबीएफसी का प्रोफाइल (आरएनबीसी को सम्मिलित करते हुए)

6.45 जून 2008 के अंत में रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या [जिसमें एनबीएफसी -डी (जमा स्वीकार करनेवाले एनबीएफसी), आरएनबीसी, म्यूच्युअल बेनेफिट कंपनियां (एमबीसी), विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसी) और निधि कंपनियां सम्मिलित हैं] 12,809 थी जो जून 2009 के अंत में घटकर 12,740 हो गई (सारणी VI.14)। एनबीएफसी-डी की संख्या जून 2008 के अंत में 364 थी जो जून 2009 के अंत में घटकर 336 हो गई, जिसका मुख्य कारण था तमाम एनबीएफसी कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार करने के कार्य को छोड़ कर जाना। मार्च 2009 के अंत में आरएनबीसी की संख्या घटकर मात्र 2 रह गई।

सारणी VI.14: रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या

जून के अंत में	एनबीएफसी की संख्या	एनबीएफसी-डी की संख्या
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,764	604
2005	13,261	507
2006	13,014	428
2007	12,968	401
2008	12,809	364
2009	12,740	336

6.46 एनबीएफसी की कुल आस्तियां पिछले वर्ष के 99,014 करोड़ रुपए से घटकर 2008-09 के दौरान 95,727 करोड़ रुपए रह गयी थी। सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2008 के अंत में रही 24,400 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2009 के अंत में 21,548 करोड़ रुपए हो गई थी। निवल स्वाधिकृत निधियों में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह राशि मार्च 2009 के अंत में 13,458 करोड़ रुपए हो गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल आस्ति, सार्वजनिक जमाराशि और निवल स्वाधिकृत राशि के संदर्भ में एनबीएफसी में आरएनबीसी के हिस्से में मामूली गिरावट आई (सारणी VI.15)।

6.47 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों के अनुपात के प्रति रिपोर्टिंग एनबीएफसी की जमाराशियों का अनुपात मार्च 2008 के अंत में रहे 0.73 प्रतिशत से घटकर मार्च 2009 के अंत में 0.53 प्रतिशत पर आ गया जो मुख्यतया रिपोर्टिंग एनबीएफसी की जमाराशियों में आई गिरावट के कारण था। वर्ष के दौरान विस्तृत चलनिधि सकल राशियों (एल3) में एनबीएफसी जमाराशियों का हिस्सा भी कम हुआ (चार्ट VI.2)।

सारणी V.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2008		2009 अ	
	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	99,014 (24.7)	24,452	95,727 (21.1)	20,211
सार्वजनिक जमाराशियां	24,400 (91.6)	22,358	21,548 (91.0)	19,607
निवल स्वाधिकृत निधियां	11,921 (14.4)	1,718	13,458 (13.9)	1,870

अ : अनंतिम

टिप्पणी : 1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

चार्ट VI.2: व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा

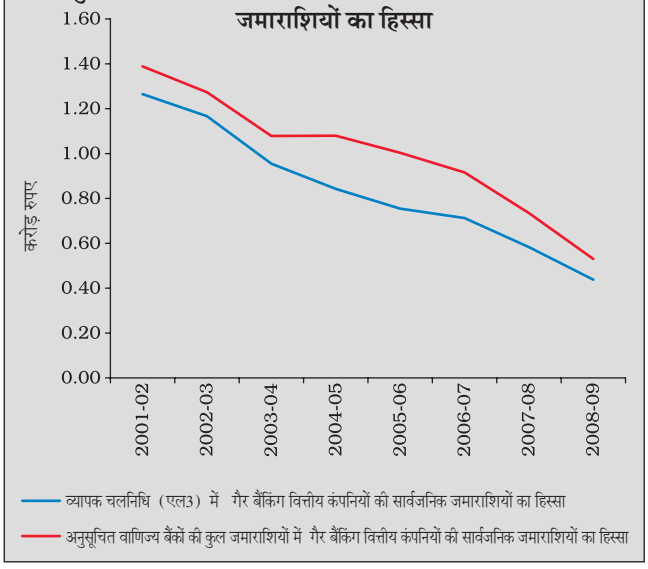

एनबीएफ सी के परिचालन (आरएनबीसी को छोड़कर)

6.48 2007-08 के दौरान एनबीएफसी(आरएनबीसी को छोड़कर) की कुल आस्ति/देयताओं में हुई 53.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2008-09 के दौरान 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.16)। उधार राशियों, जो एनबीएफसी की निधियों का प्रमुख स्रोत हैं, में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सार्वजनिक जमाराशियों में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई जो जुटाए गए संसाधनों की प्रवृत्ति में निरंतर परिवर्तन का द्योतक है। आस्ति पक्ष में किराया क्रय आस्तियों और ऋण तथा अग्रिमों, जो आस्तियों की प्रमुख मदें हैं, में पिछले वर्ष की 27.9 प्रतिशत और 70.2 प्रतिशत की की तुलना में क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई । एनबीएफसी के कुल निवेश की वृद्धि में गिरावट मुख्यतया अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में आई गिरावट के कारण थी। अन्य

सारणी VI.16: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2007-08		2008-09	
	2007-08	2008-09 अ	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. प्रदत्त पूंजी	3,266 (4.4)	3,508 (4.6)	998	44.0	242	7.4
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	8,695 (11.7)	9,337 (12.4)	2,834	48.4	642	7.4
3. सार्वजनिक जमाराशि	2,042 (2.7)	1,941 (2.6)	-35	-1.7	-101	-4.9
4. उधार राशिया	50,577 (67.8)	55,289 (73.2)	18,125	55.9	4,712	9.3
5. अन्य देयताएं	9,982 (13.4)	5,441 (7.2)	4,087	69.3	-4,541	-45.5
देयताएं/आस्तियाँ	74,562	75,516	26,008	53.6	954	1.3
आस्तियाँ						
1. निवेश	11,210 (15.0)	14,813 (19.6)	3,798	51.2	3,603	32.1
i) अनुमोदित प्रतिभूतिया @	7,146	9,230	2,859	66.7	2,084	29.2
ii) अन्य निवेश	4,064 (5.5)	5,583 (7.4)	939	30.0	1,519	37.4
2. ऋण और अग्रिम	18,823 (25.2)	21,073 (27.9)	7,764	70.2	2,250	12.0
3. किराया खरीद आस्तियां	33,525 (45.0)	35,647 (47.2)	7,303	27.9	2,122	6.3
4. उपस्कर पट्टा-दायी आस्तियां	1,048 (1.4)	585 (0.8)	-317	-23.2	-463	-44.2
5. बिल संबंधी कारोबार	12 (0.0)	23 (0.0)	5	71.4	11	91.7
6. अन्य आस्तियां	9,944 (13.3)	3,375 (4.5)	7,456	299.7	-6,569	-66.1

अ : अनंतिम

@ : अनुसूचित वाणिज्य बैंको के एसएलआर आस्तियों में 'अधिकृत प्रतिभूतियाँ' और 'भार-रहित मीयादी जमाराशियाँ' शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

निवेश में 2007-08 के दौरान रहे 30.0 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 के दौरान 37.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

6.49 एनबीएफसी समूह में से कुल आस्ति/ देयताओं में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा (70.3 प्रतिशत) आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) का था, इसके बाद ऋण कंपनियों (28.9 प्रतिशत), किराया क्रय कंपनियों (0.6 प्रतिशत) तथा उपस्कर पट्टादायी (0.3 प्रतिशत) का था (सारणी VI.17)। एएफसी की आस्ति/ देयताओं में हुई वृद्धि मुख्य रूप से एनबीएफसी का पुन:वर्गीकरण किए जाने के कारण थी,जो दिसंबर 2006 में प्रारंभ हुई थी और जिसकी प्रक्रिया अभी तक जारी है। 2006-07 में एनबीएफसी का पुन:वर्गीकरण किए जाने के बाद से उपस्कर पट्टादायी कंपनियों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम रह गया। विभिन्न एनबीएफसी समूहों का महत्व सामान्यतया उनकी उधार राशियों की प्रवृत्ति दर्शाता है जबकि उनकी कुल देयताएं में जमाराशियों का हिस्सा बहुत मामूली(2.6 प्रतिशत)ही था। एनबीएफसी द्वारा धारित कुल जमाराशियों में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा (70.3 प्रतिशत) आस्ति वित्त कंपनियों का था,जिसके बाद ऋण कंपनियों का हिस्सा 19.9 प्रतिशत था तथा अंत में किराया क्रय कंपनियों का हिस्सा 9.6 प्रतिशत था (सारणी VI.17)।

जमा:गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के विभिन्न वर्गों की सार्वजनिक जमाराशियों का प्रोफाइल

6.50 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए एनबीएफसी के सभी समूहों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में वर्ष 2008-09 के दौरान मामूली गिरावट आई। गिरावट की यह प्रवृत्ति एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की जगह बैंक ऋण/डिबेंचरों को अधिक अधिमानता प्रदान करने के कारण थी। सार्वजनिक जमाराशियों में गिरावट ऋण कंपनियों और उपस्कर पट्टादायी कंपनियों के मामले में अधिक गहरी थी जिसका कारण इन कंपनियों में से कुछ कंपनियों का आस्ति वित्त कंपनी में पुन: वर्गीकरण किया जाना था। इसके साथ ही आस्ति वित्त कंपनियों की जमाराशियों में 2008-09 के दौरान 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.18)।

एनबीएफसी की जमाराशियों का आकार-वार वर्गीकरण

6.51 एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों की रेंज 0.5 करोड़ रुपए से कम -50 करोड़ रुपए से अधिक तक थी(सारणी VI.19)। 2008-09 के दौरान सभी जमा समूहों के बीच एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों में गिरावट आई,केवल '10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक' और '20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक' की जमा वर्ग में आनेवाली कंपनियों को छोड़कर।

सारणी VI.17: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण	देयताएं		जमाराशियां		उधार राशियां	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त	50,998	53,068	1,161	1,364	34,093	40,232
	(68.4)	(70.3)	(56.9)	(70.3)	(67.4)	(72.8)
उपस्कर पट्टा	162	192	10	3	76	54
	(0.2)	(0.3)	(0.5)	(0.2)	(0.2)	(0.1)
किराया खरीद	178	425	169	186	38	43
	(0.2)	(0.6)	(8.3)	(9.6)	(0.1)	(0.1)
निवेश	402	–	19	–	358	–
	(0.5)		(0.9)		(0.7)	
ऋण	22,819	21,831	682	388	16,012	14,960
	(30.6)	(28.9)	(33.4)	(19.9)	(31.7)	(27.1)
एमएनबीसी	3	–	1	–	0	–
	(0.0)		(0.1)			
कुल	**74,562**	**75,516**	**2,042**	**1,941**	**50,577**	**55,289**

- : शून्य / नगण्य
अ:अनंतिम
टिप्पणी :कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं ।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.18: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

गै.बैं.वि. कंपनी समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत घट-बढ
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		सार्वजनिक जमाराशियां		
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ	2008-09
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्त	185	147	1,161 (56.9)	1,364 (70.3)	17.5
उपस्कर पट्टा	15	11	10 (0.5)	3 (0.2)	-70.6
किराया खरीद	76	74	169 (8.3)	186 (9.6)	10.1
निवेश	1	1	19 (0.9)	–	–
ऋण	70	42	683 (33.4)	388 (19.9)	-43.3
एमएनबीसी	3		1	–	–
कुल	**350**	**275**	**2,042**	**1,941**	**-4.9**

- : शून्य / नगण्य
अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

'50 करोड़ रुपए और उससे अधिक' जमा वर्ग का हिस्सा कुल जमाराशियों में 80 प्रतिशत था जबकि अन्य जमा वर्गों के कुल हिस्सों को मिलाकर भी उनका हिस्सा एनबीएफसी क्षेत्र की कुल सार्वजनिक जमाराशियों का मात्र 20 प्रतिशत ही था।

सारणी VI.19: जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशियों का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
0.5 करोड़ रुपए से कम	213	177	28 (1.4)	22 (1.1)
0.5 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	85	53	82 (4.0)	51 (2.6)
2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	38	30	186 (9.1)	133 (6.9)
10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक	4	6	61 (3.0)	76 (3.9)
20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	2	3	56 (2.7)	115 (5.9)
50 करोड़ रुपए और उससे अधिक	8	6	1,629 (79.8)	1,544 (79.5)
कुल	350	275	2,042	1,941

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार हिस्सेदारी

6.52 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2008-09 के दौरान एनबीएफसी द्वारा सभी क्षेत्रों में , केवल पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर, धारित जमाराशियों में गिरावट रही(सारणी VI.20)। पश्चिमी क्षेत्र की सार्वजनिक जमाराशियों में 85.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमाराशियों में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा (लगभग 76 प्रतिशत) दक्षिणी क्षेत्र का था, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा (लगभग 15 प्रतिशत) था तथा पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा (लगभग 8 प्रतिशत) था।पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में कुल सार्वजनिक जमाराशियों में एनबीएफसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में उच्च था। वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एनबीएफसी का हिस्सा शून्य ही रहता आया। महानगरों में चेन्नै का हिस्सा जमारशियों में सर्वाधिक बड़ा था जबकि नई दिल्ली में एनबीएफसी कंपनियों की संख्या सर्वाधिक बड़ी रहती आई।

एनबीएफसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर

6.53 एनबीएफसी द्वारा 10 प्रतिशत तक की ब्याज दरों की संविदा पर धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के

सारणी VI.20: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि- क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2007-08		2008-09 अ	
	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशिया
1	2	3	4	5
मध्य	54	25 (1.2)	42	20 (1.0)
पूर्व	9	18 (0.9)	5	8 (0.4)
उत्तरी	180	284 (13.9)	139	283 (14.6)
दक्षिणी	84	1,631 (79.9)	66	1,474 (75.9)
पश्चिमी	23	84 (4.1)	23	156 (8.0)
कुल	**350**	**2,042**	**275**	**1,941**
महानगरीय क्षेत्र :				
कोलकाता	6	15	3	8
चेन्नै	46	1,565	33	1,407
मुंबई	10	76	11	148
नई दिल्ली	63	204	47	207
कुल	**125**	**1,860**	**94**	**1,770**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

73.0 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 के दौरान 30.1 प्रतिशत हो गया था, जबकि '10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक' के कोष्ठक में संकुचित हिस्सा 25.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 65.0 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.21)।

सारणी VI.21: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियाँ-जमाराशि पर ब्याज दर-दायरा-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की ब्याज दर दायरा	मार्च के अंत में	
	2007-08	2008-09 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	1,491 (73.0)	584 (30.1)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	518 (25.4)	1,261 (65.0)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	33 (1.6)	96 (4.9)
कुल	**2,042**	**1,941**

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.22: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2007-08	2008-09 P
1	2	3
1. एक वर्ष से कम	611 (29.9)	698 (36.0)
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	491 (24.0)	506 (26.1)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	663 (32.5)	593 (30.6)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	211 (10.3)	84 (4.3)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक	66 (3.2)	60 (3.0)
कुल	**2,042**	**1,941**

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता की प्रवृत्ति

6.54 वर्ष के दौरान '1वर्ष से कम', '1वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक' तथा '5वर्ष और अधिक' की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों में वृद्धि हुई। मार्च 2009 के अंत में '2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक' तथा '3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम' परिपक्वता वाली जमाराशियों में महत्वपूर्ण रूप से कमी आयी। इसके परिणामस्वरूप कुल जमाराशियों में उनके हिस्से में कमी दर्ज हुई (सारणी VI.22)।

एनबीएफसी द्वारा ली गई उधार राशियां

6.55 एनबीएफसी की बकाया उधार राशियों में 2008-09 के दौरान 9.3 प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी VI.23)। उपस्कर पट्टादायी कंपनियों और ऋण कंपनियों की उधार राशियों में कमी आयी परंतु आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और किराया खरीद कंपनियों की उधार राशियों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। समस्त एनबीएफसी में उधार राशियों का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा एएफसी(72.8 प्रतिशत) का था जिसके बाद ऋण कंपनियों का था (27.1 प्रतिशत)।

6.56 2008-09 के दौरान एनबीएफसी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधार राशियों में 29.3 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा बांडों और डिबेंचरों के जरिए तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त की गयी उधार राशियां पहले के स्तर पर ही रहीं। 2008-09 के दौरान सरकार

सारणी VI.23: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियां-गै.बैं.वि. कंपनी के वर्गीकरण-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में				प्रतिशत अंतर
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		कुल उधारी		
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ	2008-09
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्त कंपनी	185	147	34,093 (67.4)	40,232 (72.8)	18.0
उपस्कर पट्टा कंपनी	15	11	76 (0.2)	54 (0.1)	-28.8
किराया खरीद कंपनी	76	74	38 (0.1)	43 (0.1)	13.2
निवेश कंपनी	1	1	358 (0.7)	–	–
ऋण कंपनी	70	42	16,012 (31.7)	14,960 (27.1)	-6.6
एमएनबीसी	3		–	–	–
कुल	**350**	**275**	**50,577**	**55,289**	9.3

अ: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

से प्राप्त की गयी उधार राशियों में 21.4 प्रतिशत की कमी हुई। अन्य जमाराशियों (जिसमें अन्य के साथ-साथ दूसरी कंपनियों से प्राप्त की गयी उधार राशियां, निदेशकों/ प्रमोटरों से प्राप्त किए गए गैर जमानती ऋणों, वाणिज्य पेपर, म्यूच्युअल फंडों तथा किन्हीं अन्य प्रकार के फंडों, जिनकी गिनती सार्वजनिक जमाराशियों में नहीं की जाती, से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं) में 2008-09 के दौरान 2.6 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है (सारणी VI.24)।

एनबीएफसी की आस्तियां

6.57 2008-09 के दौरान जमा लेने वाली एनबीएफसी की कुल आस्तियों में 1.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई जो मुख्यतया ऋण कंपनियों की आस्तियों में आयी गिरावट के कारण थी (सारणी VI.25)। वर्ष के दौरान एनबीएफसी के ऋणों और अग्रिमों (7.3 प्रतिशत) और साथ ही निवेशों (32.1 प्रतिशत) में भी वृद्धि हुई। मार्च 2009 के अंत में सभी एनबीएफसी की कुल आस्तियों का

सारणी VI.24: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में									
	सरकार		बाह्य स्रोत @		बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		डिबेंचर		अन्य	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ति वित्त	0	0	828	832 (0.5)	16,330	21,775 (33.3)	10,216	11,620 (13.7)	6,719	6,005 (-10.6)
उपस्कर पट्टा	0	0	0	0	4	7 (83.2)	0	0	72	47 -34.8
किराया खरीद	0	0	0	0	0	13	3	2 (-33.3)	35	28 (-19.7)
निवेश	72	0	0	0	82	0	0	0	204	0
ऋण	2,247	1,824 (-18.8)	627	631 (0.7)	2,579	2770 7.4	2,835	1,444 -49.1	7,723 434.8	8,291 7.4
एमएनबीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	2,319	1,824 (-21.4)	1,455	1,463 (0.6)	18,995	24,565 (29.3)	13,054	13,066 (0.1)	14,753	14,371 (-2.6)

अ : अनंतिम

@ : इसमें (i) विदेशी सरकार (ii) विदेशी प्राधिकरण और (iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.25: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त	50998	55115	42368	43607	4060	3545
	(68.4)	(73.0)	(79.3)	(75.4)	(36.2)	(23.9)
उपस्कर पट्टा	162	156	92	65	48	41
	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.4)	(0.3)
किराया खरीद	178	194	136	153	40	6390
	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(43.1)
निवेश	402	–	146	–	256	–
	(0.5)	(0.0)	(0.3)		(2.3)	
ऋण	22819	20051	10653	13480	6807	4837
	(30.6)	(26.6)	(20.0)	(23.5)	(60.7)	(32.7)
एमएनबीसी	3	–	2	–	0	–
	(0.0)		(0.0)		(0.0)	
कुल	74562	75516	53397	57305	11211	14813

अ: अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

73.0 प्रतिशत और ऋण तथा अग्रिमों का 75.4 प्रतिशत और निवेश का 23.9 प्रतिशत एएफसी द्वारा धारित किया गया था।

एनबीएफसी-जमा का संवितरण आस्ति आकार के अनुसार

6.58 एनबीएफसी की आस्ति का आकार 25 लाख रुपए से कम 500 करोड़ रुपए से अधिक के बीच महत्वपूर्ण रूप से घटता-बढ़ता रहा। आस्ति धारिता प्रवृत्ति 2008-09 में लगभग स्थिर रही अर्थात मार्च 2009 के अंत में '500 करोड़ रुपए से अधिक' वाली 12 एनबीएफसी सभी एनबीएफसी की कुल आस्ति का 95.8 प्रतिशत धारित कर रही थीं जबकि शेष 263 एनबीएफसी की आस्ति धारिता कुल आस्तियों का 4.2 प्रतिशत थी (सारणी VI.26)।

एनबीएफसी आस्तियों का संवितरण-कार्य का प्रकार

6.59 वर्ष 2008-09 के दौरान किराया क्रय, निवेश तथा ऋण और अंतर-कॉरपोरेट जमाराशियों के रूप में धारित आस्तियों में बहुत अच्छी वृद्धि हुई। तथापि 2008-09 के दौरान किराया क्रय रूप में धारित आस्तियों में कमी आई तथा अन्य आस्तियों में तीव्र कमी आई। कुल आस्तियों में किराया क्रय कार्य का हिस्सा निरंतर सर्वाधिक बढ़ा (47.2 प्रतिशत), जिसके बाद ऋण और अंतर-कॉरपोरेट जमाराशियों का हिस्सा सर्वाधिक बढ़ा (27.9 प्रतिशत) और अंत में निवेशों का हिस्सा सर्वाधिक बढ़ा था (19.6 प्रतिशत) (सारणी VI.27)।

एनबीएफसी का वित्तीय निष्पादन

6.60 2008-09 के दौरान आय और निवल लाभ के संदर्भ में एनबीएफसी के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। फंड आधारित

सारणी VI.26: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियाँ-आस्ति आकार के दायरे के अनुसार

(राशि करोड़ रुपए में)

आस्ति आकार	मार्च के अंत में			
	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ
1	2	3	4	5
0.25 करोड़ रुपए से कम	40	2	4	0
			(0.0)	(0.0)
0.25 करोड़ रुपए से अधिक	28	19	11	7
और 0.50 करोड़ रुपए तक			(0.0)	(0.0)
0.50 करोड़ रुपए से अधिक	119	107	133	118
और 2 करोड़ रुपए तक			(0.2)	(0.2)
2 करोड़ रुपए से अधिक	91	85	385	383
और 10 करोड़ रुपए तक			(0.5)	(0.5)
10 करोड़ रुपए से अधिक	38	36	779	783
और 50 करोड़ रुपए तक			(1.0)	(1.0)
50 करोड़ रुपए से अधिक	10	10	620	649
और 100 करोड़ रुपए तक			(0.8)	(0.9)
100 करोड़ रुपए से अधिक	9	4	2,055	1,263
और 500 करोड़ रुपए तक			(2.8)	(1.7)
500 करोड़ रुपए से अधिक	15	12	70,575	72,313
			(94.7)	(95.8)
कुल	**350**	**275**	**74,562**	**75,516**

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.27: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां-कार्यकलापवार

(राशि करोड़ रुपए में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
ऋण और अंतर-कंपनी जमाराशियां	18,823 (25.2)	21,073 (27.9)	70.2	12.0
निवेश	11,210 (15.0)	14,813 (19.6)	51.2	32.1
किराया खरीद	33,525 (45.0)	35,647 (47.2)	27.9	6.3
उपस्कर और पट्टा	1,048 (1.4)	585 (0.8)	-45.6	-44.2
बिल	13 (0.0)	23 (0.0)	85.7	76.9
अन्य आस्तियाँ	9,944 (13.3)	3,375 (4.5)	219.4	-66.1
कुल	**74,563**	**75,516**	53.6	1.3

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

आय (16.9) प्रतिशत और शुल्क आधारित आय (46.0 प्रतिशत) दोनों में ही अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में व्यय की वृद्धि में कमी आई है तथापि आय की तुलना में इसमें उच्च वृद्धि रही है जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक लाभ में 2.2 प्रतिशत की कमी आई है। निवल लाभ में धीमी वृद्धि रही है जो मुख्यतया कर के लिए किए गए न्यून प्रावधान के कारण थी। आय के प्रति लागत अनुपात 2007-08 में रहे 68.9 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 74.1 प्रतिशत हो गया था (सारणी VI.28)।

6.61 गैर ब्याज लागत 97.6 प्रतिशत थी जो 2008-09 के दौरान एनबीएफसी की कुल लागत का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा रही। इसके साथ ही कुल लागत में ब्याज लागत का हिस्सा सबसे कम था (सारणी VI.29)।

6.62 2008-09 के दौरान आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यय (प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए) में वृद्धि परिलक्षित हुई। तथापि आस्ति के प्रतिशत के रूप में आय, जिसकी गति उच्च थी, के कारण आस्ति अनुपात के प्रति निवल लाभ में वृद्धि हुई (चार्ट VI.3)।

अच्छी स्थिति के सूचक : एनबीएफसी - जमा की आस्ति गुणवत्ता

6.63 सकल एनपीए अनुपात में 2007-08 में हुई 2.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2008-09 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो

सारणी VI.28: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	10,038	11,799	75.5	17.5
(i) निधि आधारित	9,832 (98.0)	11,498 (97.0)	75.9	16.9
(ii) शुल्क आधारित	206 (2.0)	301 (3.0)	57.4	46.0
ख. व्यय (i+ii+iii)	6,913	8,742	43.1	26.5
(i) वित्तीय	4,525 (60.0)	5,641 (66.0)	63.7	24.7
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	226 (6.0)	211 (2.3)	-55.5	-6.6
(ii) परिचालन	2,178 (30.5)	2,369 (27.6)	72.7	8.8
(iii) अन्य	210 (3.4)	732 (4.1)	-73.9	248.6
ग. कर प्रावधान	1,213	1,002	215.1	-17.4
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**3,125**	**3,057**	**251.1**	**-2.2**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**1,912**	**2,055**	**279.4**	**7.5**
च. कुल आस्तियाँ	**74,562**	**75,516**	**53.6**	**1.3**
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
i) आय	13.5	15.6		
ii) निधि आधारित आय	97.9	15.2		
iii) शुल्क आधारित आय	0.3	0.4		
iv) व्यय	9.3	11.6		
v) वित्तीय व्यय	6.1	7.5		
vi) परिचालन व्यय	2.9	3.1		
vii) कर प्रावधान	1.6	1.3		
viii) निवल लाभ	2.6	2.7		
ज.आय की तुलना में लागत अनुपात	**68.9**	**74.1**		

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत थी। मार्च 2009 के अंत में निवल एनपीए, जिसमें किए गए प्रावधान एनपीए से अधिक थे, ऋणात्मक ही रहा (सारणी VI.30)।

सारणी VI.29: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की ब्याज लागत

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च के अंत में	कुल आय	कुल लागत	ब्याज लागत	ब्याज से इतर लागत
1	2	3	4	5
2007-08	10,038	6,913	226	6,687
2008-09 अ	11,799	8,742	211	8,531

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

चार्ट V.3: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

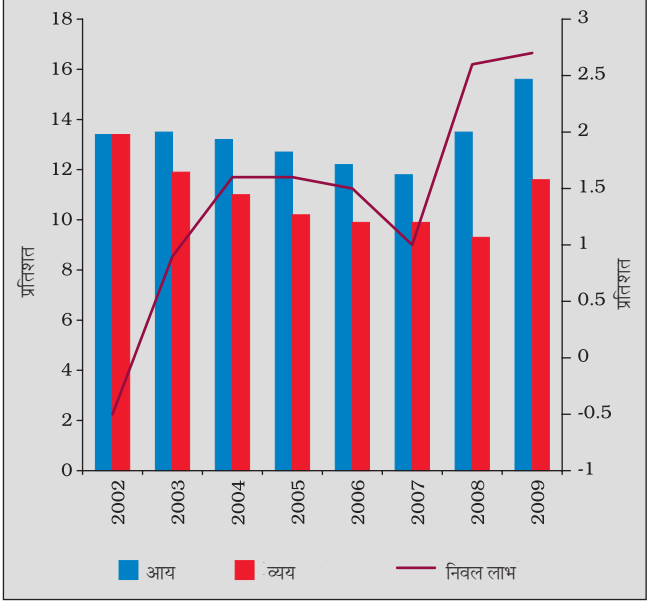

6.64 आस्ति कंपनियों, उपस्कर पट्टादायी और निवेश कंपनियों तथा किराया क्रय कंपनियों के सकल एनपीए (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) में 2008-09 के दौरान गिरावट आई । तथापि आस्ति वित्त कंपनियों तथा किराया क्रय कंपनियों के मामले में निवल एनपीए (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) में मामूली वृद्धि हुई है जबकि उपस्कर पट्टादायी कंपनियों और निवेश कंपनियों के मामले में कमी आई है। 2008-09 के दौरान ऋण कंपनियों का एनपीए भी ऋणात्मक रहा (सारणी VI.31)।

सारणी VI.30: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति - अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2001	11.5	5.6
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	0*
2009 अ	2.7	0*

अ: अनंतिम
* : अनर्जक आस्तियों से अधिक प्रावधान ।
स्रोत : छमाही विवरणियां ।

6.65 एनपीए (अवमानक, संदिग्ध और हानि) की विभिन्न श्रेणियों में यथाप्रदर्शित एनबीएफसी की विभिन्न प्रकार की आस्ति गुणवत्ता से पता चलता है कि 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उपस्कर पट्टादायी कंपनी की आस्ति गुणवत्ता में उत्कृष्ट सुधार आया है तथा किराया क्रय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता घटी है (सारणी VI.32)।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

6.66 सीआरएआर मानदंडों को 1998 में एनबीएफसी के लिए लागू किया गया जिसके अनुसरण में प्रत्येक जमा लेने वाली एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजी अर्थात अपनी सकल जोखिम भारित आस्तियों का और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का 12 प्रतिशत से अन्यून (रेटिंग न की गयी जमा लेनेवाली ऋण/निवेश कंपनियों के मामले में 15 प्रतिशत) टियर I और टियर II पूंजी रखने की अनिवार्यता अपेक्षित थी। किसी भी समय में टीयर II पूंजी का योग टीयर I पूंजी के योग से 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मार्च 2008 के अंत में 12 प्रतिशत सीआरएआर की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा का पालन करने वाली एनबीएफसी की संख्या 47 थी जो मार्च 2009 के अंत घटकर 9 रह गयी (सारणी VI 33)। मार्च 2008 के अंत में 327 एनबीएफसी में से 280 एनबीएफसी उपर्युक्त अपेक्षा का पालन कर रही थी जिसके मुकाबले मार्च 2009 के अंत में 207 एनबीएफसी में से 198 एनबीएफसी 12 प्रतिशत अथवा इससे अधिक सीआरएआर रख रही थीं जबकि 30 से अधिक सीआरएआर रखने वाली एनबीएफसी की संख्या मार्च 2008 के अंत में रही 239 से घटकर मार्च 2009 के अंत में 168 हो गयी थी। इन सबके बावजूद यह ध्यान देने योग्य बात है कि एनबीएफसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में समेकन प्रक्रिया के तहत है जिसके अंतर्गत कमजोर एनबीएफसी क्रमशः छोड़कर जा रहे हैं और मजबूत एनबीएफसी क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

6.67 एनबीएफसी का एनओएफ चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि का सकल है जिसमें से (i) संचयित हानियों की राशि; और (ii) आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अमूर्त आस्ति, यदि कोई हो को निकाल दिया जाता है तथा शेयरों में किए गए निवेश, और (क) सब्सिडीयरी, (ख) एक ही समूह की कंपनियों, और (ग)

सारणी VI.31: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बेंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण / मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां		
		राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	आस्ति की तुलना में प्रतिशत		राशि	निवल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	आस्ति की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त								
2007	11,824	262	2.2	2.2	11,548	-14	-0.1	-0.1
2008	37,233	652	1.8	1.7	36,609	28	0.1	0.1
2009 अ	34,240	573	1.7	1.6	34,023	356	1.0	1.0
उपस्कर पट्टा								
2004	3,306	582	17.6	13.3	3,067	344	11.2	7.8
2005	4,187	514	12.3	11.0	4,018	345	8.6	7.4
2006	2,878	69	2.4	2.2	2,786	-23	-0.8	-0.7
2007	1,057	45	4.2	4.0	992	-20	-1.9	-1.8
2008	26	6	24.3	7.2	-10	-29	293.6	-34.2
2009 अ	26	2	7.7	2.5	4	-20	-491.2	-24.6
किराया खरीद								
2004	10,437	942	9.0	7.3	9,748	253	2.6	2.0
2005	15,900	610	3.8	3.6	15,544	253	1.6	1.5
2006	17,607	444	2.5	2.4	17,238	74	0.4	0.4
2007	18,280	464	2.5	2.3	17,884	67	0.4	0.3
2008	324	158	48.8	43.8	244	78	32.0	21.6
2009 अ	205	138	67.6	61.8	133	67	50.1	29.8
निवेश								
2004	63	15	23.8	2.6	55	7	12.7	1.2
2005	58	10	17.2	1.8	58	10	18.0	1.8
2006	59	0	0.4	0.0	59	0	0.4	0.0
2007	31	1	2.8	0.1	31	1	2.8	0.1
2008	732	108	14.8	7.7	732	108	14.8	7.7
2009 अ	1,729	87	5.0	3.6	1,729	87	5.0	3.6
ऋण								
2004	2,038	142	7.0	4.1	1,833	-63	-3.4	-1.8
2005	1,955	117	6.0	5.1	1,772	-65	-3.7	-2.8
2006	690	252	36.5	19.3	483	45	9.3	3.4
2007	7,594	124	1.6	5.9	7,463	-6	-0.1	-0.3
2008	16,631	132	0.8	0.6	10,832	-5,667	-52.3	-27.6
2009 अ	15,039	547	3.6	3.6	10,148	-4,344	-42.8	-28.3

अ: अनंतिम ।

स्रोत : छमाही विवरणियां ।

अन्य एनबीएफसी (स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक) को दिए गए ऋणों और अग्रिमों का समायोजन कर लिया जाता है। एनओएफ के बारे में जानकारी सीआरएआर संबंधी जानकारी को सहायता देती है। मार्च 2009 के अंत में एनबीएफसी के प्रति सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात, ऋण कंपनियों और किराया कंपनियों के मामले में, कम हुआ था जबकि अन्य श्रेणी की कंपनियों में मामूली वृद्धि हुई। किराया क्रय कंपनियों का अनुपात लगातार कम ही रहा जो ऋणात्मक एनओएफ के कारण था। एनओएफ के प्रति एनबीएफसी की अन्य सभी श्रेणियों का जमा अनुपात मार्च 2009 के अंत में 0.2 प्रतिशत अर्थात अपरिवर्तित ही रहा (सारणी VI.34)।

सारणी VI.32 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए)

वर्गीकरण / मार्च के अंत में	मानक आस्तिया	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल अनर्जक आस्तियां	सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त						
2007	11,562	242	17	3	262	11,824
	(97.8)	(2.1)	(0.1)	(0.0)	(2.2)	(100.0)
2008	36,581	584	41	27	652	37,233
	(98.2)	(1.6)	(0.1)	(0.1)	(1.8)	(100.0)
2009अ	33,667	520	35	18	573	34,240
	(98.3)	(1.5)	(0.1)	(0.1)	(1.7)	(100.0)
उपस्कर पट्टा						
2006	2,809	12	21	36	69	2,878
	(97.6)	(0.4)	(0.7)	(1.2)	(2.4)	(100.0)
2007	1,013	4	2	38	45	1,057
	(95.8)	(0.4)	(0.2)	(3.6)	(4.3)	(100.0)
2008	19	1	1	4	6	26
	(75.7)	(4.7)	(4.5)	(15.0)	(24.3)	(100.0)
2009अ	24	0	1	1	2	26
	(92.3)	(1.1)	(2.6)	(3.9)	(7.7)	(100.0)
किराया खरीद						
2006	17,163	184	47	212	444	17,607
	(97.5)	(1.0)	(0.3)	(1.2)	(2.5)	(100.0)
2007	17,817	194	81	188	464	18,280
	(97.5)	(1.1)	(0.4)	(1.0)	(2.5)	(100.0)
2008	166	7	7	144	158	324
	(51.2)	(2.0)	(2.3)	(44.4)	(48.8)	(100.0)
2009अ	66	4	3	131	138	205
	(32.4)	(1.8)	(1.6)	(64.2)	(67.6)	(100.0)
निवेश						
2006	59	0	0	0	0	59
	(99.6)	(0.0)	(0.2)	(0.2)	(0.4)	(100.0)
2007	31	1	0	0	1	31
	(97.2)	(2.8)	(0.0)	(0.0)	(2.8)	(100.0)
2008	624	100	8	0	108	732
	(85.2)	(13.7)	(1.1)	(0.0)	(14.8)	(100.0)
2009अ	1,643	38	49	0	87	1,729
	(95.0)	(2.2)	(2.8)	(0.0)	(5.0)	(100.0)
ऋण						
2006	438	19	99	134	252	690
	(63.5)	(2.7)	(14.3)	(19.4)	(36.5)	(100.0)
2007	7,470	9	91	24	124	7,594
	(98.4)	(0.1)	(1.2)	(0.3)	(1.6)	(100.0)
2008	16,499	22	81	29	132	16,631
	(99.2)	(0.1)	(0.5)	(0.2)	(0.8)	(100.0)
2009अ	14,492	465	66	16	547	15,039
	(96.4)	(3.1)	(0.4)	(0.1)	(3.6)	(100.0)

अ:अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े ऋण जोखिम का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : छमाही विवरणियां ।

सारणी VI.33: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(प्रतिशत)

सीआरएआर सीमा	मार्च के अंत में									
	2007-08					2008-09 अ				
	आ.वि.कं.	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल	आ.वि.कं	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1) 12 प्रतिशत से कम (क+ख)	19	4	15	9	47	0	2	4	3	9
क.) 9 प्रतिशत से कम	4	4	15	9	32	0	2	3	3	8
ख.) 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	3	0	0	1	4	3	0	0	0	3
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	5	0	0	3	8	4	0	0	2	6
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	25	0	1	3	29	17	0	2	2	21
5) 30 प्रतिशत और उससे अधिक	117	10	66	46	239	99	8	34	26	168
जोड़	**169**	**14**	**82**	**62**	**327**	**123**	**10**	**40**	**33**	**207**

आ.वि.कं. : आस्ति वित्त कंपनी; उ.प. - उपस्कर पट्टा; कि.ख. - किराया खरीद; ऋण कं./नि.क. - ऋण कंपनियां / निवेश कंपनियां
अ : अनंतिम
स्रोत : छमाही विवरणियां।

6.68 एनबीएफसी के एनओएफ की रेंज 25 लाख रुपए से कम - 500 करोड़ रुपए से अधिक तक है। 25 लाख रुपए तक और '25 लाख से अधिक तथा 2 करोड़ रुपए तक' के एनओएफ की श्रेणी में आनेवाली एनबीएफसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों, एनओएफ के अनुपात रूप में, में कमी आयी, जबकि '10 करोड़ रुपए से अधिक तथा 50 करोड़ रुपए तक' और '100 करोड़ रुपए से अधिक तथा 500 करोड़ रुपए तक' के अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई। एनओएफ के अन्य सभी रेंज में आनेवाली एनबीएफसी सामान्यतया यथावत थी (सारणी VI.35)।

सारणी VI.34 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियांयों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत मे			
	निवल स्वाधिकृत निधियां		सार्वजनिक जमाराशियां	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त	6,939	7,632	1,161 (0.2)	1,364 (0.2)
उपस्कर पट्टा	-50	10	10 -(0.2)	3 (0.3)
किराया खरीद	-76	-72	169 -(2.2)	186 -(2.6)
निवेश	83	0	19 (0.2)	–
ऋण	3,306	4,018	682 (0.2)	388 (0.1)
एमएनबीसी	1	–	1	–
जोड़	10,203	11,588	2,042 (0.2)	1,941 (0.2)

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठकों को आंकडे निवल स्वाधिकृत निधि के प्रति सार्वजनिक जमाराशि के अनुपात हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

6.69 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान आरएनबीसी की आस्तियों में 17.3 प्रतिशत की कमी आयी। भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में उनकी आस्ति में तीव्र वृद्धि रही जबकि बांडों/ डिबेंचरों तथा सावधि जमाराशियों/एससीबी जमाप्रमाणपत्रों में कमी दर्ज हुई। 2007-08 के दौरान आरएनबीसी के एनओएफ में 25.8 प्रतिशत की हुई वृद्धि के ऊपर 2008-09 के दौरान 8.9 प्रतिशत की वृद्धि और हुई (सारणी VI.36)।

6.70 2008-09 के दौरान आरएनबीसी की आय में हुई वृद्धि व्ययों में हुई वृद्धि की तुलना में कम थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आरएनबीसी के परिचालन लाभ में कमी आयी। कराधान के लिए प्रावधान में भी कमी आयी। परिणामस्वरूप 2007-08 में 406.8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2008-09 के दौरान आरएनबीसी के निवल लाभ में 33.7 प्रतिशत की कमी आयी।

आरएनबीसी की जमाराशियों में क्षेत्रीय प्रवृत्ति

6.71 दो आरएनबीसी में से एक पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) में अवस्थित है तथा दूसरी मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। आरएनबीसी

सारणी VI.35 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्च के अंत में					
	2007-08			2008-09 अ		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.25 करोड़ रुपए तक	18	-552	178 -(0.3)	3	-201	153 -(0.8)
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	231	167	91 (0.5)	172	126	48 (0.4)
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	63	267	136 (0.5)	66	249	133 (0.5)
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	21	440	145 (0.3)	20	358	158 (0.4)
5. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	3	226	91 (0.4)	2	127	45 (0.4)
6. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	7	1,507	636 (0.4)	4	649	389 (0.6)
7. 500 करोड़ रुपए से अधिक	7	8,148	764 (0.1)	8	10,280	1,015 (0.1)
जोड़	**350**	**10,203**	**2,041 (0.2)**	**255**	**11,588**	**1,941 (0.2)**

अ: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सार्वजनिक जमाराशियां हैं जो संबधित निवल स्वाधिकृत निधि के अनुपात के रूप में हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

अन्य कारोबार मॉडलों, यथा सहमति से, को अपनाने की प्रक्रिया में हैं और अपनी जमा देयताएं को 2015 तक 'शून्य' कर देंगी। इसके साथ-साथ दोनों ही आरएनबीसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में कमी आयी है। केवल एक आरएनबीसी का मुख्यालय महानगर अर्थात कोलकाता में है (सारणी VI.37)।

आरएनबीसी की निवेश प्रवृत्ति

6.72 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट आरएनबीसी की निवेश प्रवृत्ति की पुनरीक्षा करके 31 मार्च 2006 को उसमें संशोधन किया गया। जमाकर्ता के प्रति सकल दायित्व(एएलडी) का विभाजन 31 दिसम्बर 2005 को दो शीर्षों यथा - एएलडी और वृद्धिशील एएलडी में किया गया। वृद्धिशील एएलडी जमाकर्ताओं के प्रति दायित्व हैं जो 31 दिसम्बर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति दायित्वों की सकल राशि से अधिक होती हैं। आरएनबीसी को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसम्बर 2005 को रहे एएलडी का न्यूनतम 95 प्रतिशत तथा वृद्धिशील एएलडी का संपूर्ण निवेश विनिर्दिष्ट विधि से करें। आरएनबीसी को यह सूचित किया गया था कि वे एएलडी की संपूर्ण राशियों का निवेश 1 अप्रैल 2007 से एक मात्र निदेशित निवेशों में करें तथा उन्हें ऐच्छिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

6.73 2008-09 के दौरान एएलडी में 12.3 प्रतिशत की कमी आयी। बैंकों में रखी सावधि जमाराशियों और बांड तथा डिबेंचरों में जहां एक ओर कमी आयी वहीं भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों और अन्य निवेशों में वृद्धि दर्ज हुई (सारणी VI.38)।

जमा न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से आवश्यक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी - एनडी - एसआइ)

6.74 2008 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में आए झंझावात का असर एनबीएफसी क्षेत्र समेत घरेलू वित्तीय क्षेत्र पर भी पड़ा, विशेष रूप से कुछ एनबीएफसी-एनडी-एसआइ पर अधिक पड़ा। ये संस्थाएं अल्पावधिक वाणिज्य पेपर तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, जिसे म्यूच्युअल फंड मुख्य रूप से खरीदती थीं, के माध्यम से दीर्घावधि आस्ति का वित्तीयन किया करती थीं। इस प्रकार के एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को तमाम कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि

सारणी VI.36: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत में	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (I से V)	**24,452**	**20,211**	**5.5**	**-17.3**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	3,137	5,247	-5.4	67.3
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मियादी जमाराशि / जमा प्रमाणपत्र में निवेश	6,562	5,999	17.1	-8.6
(iii) सरकारी कंपनी / सरकारी क्षेत्र बैंक / सरकारी वित्त संस्था / निगम के बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र	12,320	6,993	5.3	-43.2
(iv) अन्य निवेश	573	299	-50.4	-47.8
(v) अन्य आस्तियाँ	1,860	1,743	33.5	-6.3
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	**1,718**	**1,870**	**25.8**	**8.9**
ग. कुल आय (I+ii	**2,326**	**2,416**	**22.9**	**3.8**
(i) निधि आय	2,303	2,315	22.1	0.5
(ii) शुल्क आय	23	101	182.6	346.0
घ. कुल व्यय (I+ii+iii)	**1,725**	**2,069**	**4.7**	**19.9**
(i) वित्तीय लागत	1,322	1,604	7.5	21.3
(ii) परिचालन लागत	329	379	15.5	15.4
(iii) अन्य लागत	74	86	-44.8	16.2
ङ. कराधान	**224**	**149**	**409.6**	**-33.7**
च. परिचालन लाभ (पीबीटी)	**601**	**347**	**144.3**	**-42.3**
छ. निवल लाभ (पीएटी)	**377**	**198**	**87.3**	**-47.4**

अ : अनंतिम पीबीटी : कर पूर्व लाभ पीएटी : करोत्तर लाभ
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

म्यूच्युअल फंड संकट की अवधि के दौरान इन लिखतों को रोल ओवर करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी रिपोर्टें भी थीं कि बैंक, जिन्हें ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गयी थीं, वित्तीय संकट के कारण निधियां जारी करने से पीछे हट गए थे।

सारणी VI.37: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2008		2009 अ	
	अ.गै.बैं.कं. की संख्या	राशि	अ.गै.बैं.कं. की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
मध्य	1	18,056 (80.8)	1	15,672 (79.9)
पूर्वी	1	4,303 (19.2)	1	3,935 (20.1)
उत्तर-पूर्वी	–	–	–	–
उत्तरी	–	–	–	–
दक्षिणी	–	–	–	–
पश्चिमी	–	–	–	–
कुल	**2**	**22,358**	**2**	**19,607**
महानगरीय क्षेत्र:				
चेन्नै	–	–	–	–
कोलकाता	1	4,303	1	3,935
मुंबई	–	–	–	–
नई दिल्ली	–	–	–	–
कुल	**1**	**4,303**	**1**	**3,935**

- : शून्य / नगण्य अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणी

सारणी VI.38 : अवशिष्ट गैर बैंकिंग कपंनियों के निवेश का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

	मार्च के अंत में	
	2007-08	2008-09 अ
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	**22,358**	**19,607**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	3,137 (14.0)	5,247 (26.8)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	6,562 (29.3)	5,999 (30.6)
(iii) सरकारी कं./सरकारी क्षेत्र के बैंक / सरकारी वित्तीय संस्था / निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	12,320 (55.1)	6,993 (35.7)
(iv) अन्य निवेश	573 (2.6)	299 (1.5)

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएलडी का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणी ।

6.75 रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर और नवम्बर 2008 में कई एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के साथ चर्चा प्रारंभ की और उनके मार्ग में आनेवाली चलनिधि समस्याओं की जांच के लिए उनके तुलनपत्रों का अध्ययन किया। जब तक बाजार में चलनिधि रही, सीपी का रोलओवर सुचारु रहा परंतु जब बाजार, सीपी बाजार भी सम्मिलित करते हुए, में चलनिधि की समस्या आ खड़ी हुई तब रोलओवर करने की भी समस्या आ गयी जिसके परिणामस्वरूप लिखतों के शोधन का दबाव बन गया क्योंकि आस्तियों में से अधिकतर दीर्घावधि थीं, उनका समेटा जाना संभव नहीं था। यद्यपि चलनिधि की ऐसी समस्याएं केवल कुछ ही बड़ी एनबीएफसी के सामने थीं, विश्वास की आम कमी पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो गई जिसके कारण बैंक ऋण स्वीकृत /रोलओवर नहीं कर रहे थे। रिज़र्व बैंक द्वारा इस समस्या का समाधान समय पर और पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराकर कर लिया गया। किए गए उपायों के ब्यौरे बॉक्स VI.1 में दिए गए हैं।

6.76 विद्यमान भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामवली के अनुसरण में सभी एनबीएफसी, जिनकी आस्ति 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आकारवाली है और जो सार्वजनिक जमाराशियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) स्वीकार नहीं करतीं, से अपेक्षित है कि वे मुख्य वित्तीय मानदंडों के संबंध में मासिक विवरणी भारिबैंक को प्रस्तुत करें। जैसे ही एनबीएफसी का आस्ति आकार 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का हो जाता है, वह उपरिवर्णित एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए विनियामक अपेक्षाओं के अंतर्गत आ जाती है, भले ही अंतिम तुलनपत्र की तारीख को इसके पास ऐसी आस्तियां न रही हों। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ मुख्यतया डिबेंचर जारी करके, बैंकों और एफआइ से उधार लेकर, वाणिज्य पत्रों आदि के जरिए निधियां जुटाती हैं। हाल ही में उनकी संख्या और आकार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

बॉक्स VI.1 : एनबीएफसी द्वारा झेले गए वित्तीय दबावों को ध्यान में रखकर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तिय संकट के संदर्भ में एनबीएफसी क्षेत्र के बारे में निम्नांकित उपाय किए गए :

i) एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को कतिपय शर्तों पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधारियां प्राप्त करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में अनुमति दी गई थी। यद्यपि जुटाए गए संसाधनों का उपयोग केवल अल्पावधिक देयताओं के पुनर्वित्त के लिए किया जाना था, न कि नयी आस्तियां निर्मित करने के लिए, तथापि यह भी सूचित किया गया है कि इस प्रकार प्राप्त उधार राशियों की परिपक्वता 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम राशि एनओएफ के 50 प्रतिशत अथवा 10 मिलि.अम.डालर (अथवा इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सुविधा के अंतर्गत 11 कंपनियों को 834.95 मिलि.अम.डालर +1566.38 करोड़ रुपए (उपभोग न किया गया) के समतुल्य विदेशी मुद्रा निधियां उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जिनमें से अब तक 7 कंपनियों ने 645.58 मिलियन अमरीकी डालर तक उधार प्राप्त किया है।

ii) बैंकों को अस्थायी आधार पर एलएएफ विंडो के तहत चलनिधि सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जिसके लिए उन्हें एसएलआर रखने में उनके एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत तक छूट दी गई जो एकमात्र एनबीएफसी और म्यूच्युअल फंडों की निधीयन अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ थी।

iii) एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के प्रति बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में जोखिम भार को क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान न देते हुए 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया गया जबकि एएफसी के प्रति एक्सपोजर, जो 150 प्रतिशत जोखिम भार वहन करता था, भी घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

iv) एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को शाश्वत ऋण लिखतें जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा जुटाई गई पीडीआइ की राशि को रिज़र्व बैंक निदेशों के अर्थ में 'सार्वजनिक जमा' नहीं माना जाएगा।

v) एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए सीआरएआर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने और बाद में 15 प्रतिशत करने अर्थात 31 मार्च 2010 तक 12 प्रतिशत करने तथा 31 मार्च 2011 तक 15 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया।

vi) अंतिम उधारदाता (एलओएलआर) के रूप में सीधे उधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसके अंतर्गत भारिबैं एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को उनके रेटेड वाणिज्य पत्रों के आधार पर एसपीवी के माध्यम से अपने बांडों की खरीद करवाकर उन्हें उधार देता है। यह सुविधा जनवरी 2009 में 'आइडीबीआइ एसएएफएस न्यास' नाम के एसपीवी के माध्यम से एनबीएफसी के निवेश योग्य वाणिज्य पत्रों के आधार पर चलनिधि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिचालित की गई, बशर्ते एनबीएफसी लगाई गई शर्तों का पालन करते हों। इस सुविधा की डिजाइन एलओएलआर के रूप में की गई थी जो अल्पावधिक अस्थायी चलनिधि आवश्यकताओं से जूझ रही वित्तीय रूप से स्वस्थ एनबीएफसी के तुलनपत्र के आकार को उचित रूप से कम करने में सहायता करती। इस सुविधा का लाभ अब तक केवल एक एनबीएफसी ने ही उठाया है जिसने योजना के अंतर्गत 1,040 करोड़ रुपए आहरित किए हैं और अभी तक कोई बकाया शेष नहीं है। भारत सरकार ने इस सुविधा का लाभ 30 सितंबर 2009 तक जारी किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध कराया है तथा एसपीवी 31 दिसंबर 2009 के बाद कोई नया क्रय नहीं करेगा तथा सभी प्राप्य राशियों की वसूली 31 मार्च 2010 तक कर लेगा।

देयताओं का वर्गीकरण

6.77 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की देयताओं को (i) स्वाधिकृत निधि, (ii) उधारियां और (iii) अन्य देयताएं वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। उधारियों में (i) डिबेंचर, (ii) बैंकों से ऋण, (iii) वाणिज्य पत्र (सीपी), (iv) अंतर कारपोरेट ऋण (आइसीएल अथवा आइसीडी) और (v) अन्य सम्मिलित हैं। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के समेकित तुलनपत्र का आकार मार्च 2008 के अंत में रहे 4,08,705 करोड़ रुपए के मुकाबले मार्च 2009 के अंत में 4,94,673 करोड़ रुपए था जो 27.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा था। मार्च 2009 को समाप्त अवधि के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के तुलनपत्र के आकार में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए मुख्य रूप से स्वाधिकृत निधि, डिबेंचर और अन्य देयताओं में हुई तीव्र वृद्धि जिम्मेदार है (सारणी VI.39)।

6.78 स्वाधिकृत निधि में मार्च 2009 के अंत में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल देयताओं में इसका हिस्सा 28.3 प्रतिशत रहा । एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा जारी डिबेंचरों में मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल देयताओं में पिछले वर्ष के 21.7 प्रतिशत हिस्से के मुकाबले इस वर्ष इसका हिस्सा 23.0 प्रतिशत था। बैंकों और एफआइ से प्राप्त उधार राशियों का हिस्सा में पिछले वर्ष के 19.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में थोड़ा गिरकार 18.5 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत अंतर कारपोरेट उधार राशियों में मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 36.7 प्रतिशत की गिरावट आई और कुल देयताओं में इसका हिस्सा 2.8 प्रतिशत था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वाणिज्य पत्रों के रूप में प्राप्त उधार राशियों का हिस्सा कुल देयताओं में 4.5 प्रतिशत था और इसमें 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल राशियों में अन्य का हिस्सा, जिसमें मुख्य रूप से उपार्जित ब्याज और अन्य उधारियां सम्मिलित हैं, 15.2 प्रतिशत था और मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में इसमें 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2009 के अंत में लीवरेज अनुपात में मामूली कमी आई और यह 2.5 प्रतिशत था।

6.79 मार्च 2009 को समाप्त अवधि के दौरान जमानती ऋण में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल देयताओं में इसका हिस्सा 30 प्रतिशत था, जबकि गैर जमानती ऋणों में इसी अवधि के दौरान 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल देयताओं में इसका हिस्सा मामूली रूप से बढ़कर 34.6 प्रतिशत था।

सारणी VI.39: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2008	मार्च 2009	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
स्वाधिकृत निधि	1,10,118 (26.9)	1,40,210 (28.3)	27.3
डिबेंचर	88,871 (21.7)	1,14,018 (23.0)	28.3
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार	80,961 (19.8)	91,527 (18.5)	13.1
अंतर कंपनी ऋण	22,019 (5.4)	13,937 (2.8)	-36.7
वाणिज्यिक पत्र	20,068 (4.9)	22,392 (4.5)	11.6
रिश्तेदारों से ऋण	1,822 (0.4)	2,370 (0.5)	30.1
अन्य	57,547 (14.1)	75,064 (15.2)	30.4
चालू देयताएं तथा प्रावधान	27,299 (6.7)	35,155 (7.1)	28.8
कुल देयताएं	**4,08,705**	**4,94,673**	**21.0**
ज्ञापन मदें :			
1. जमानती ऋण	1,21,082 (29.6)	1,48,314 (30.0)	22.5
2. बे-जमानती ऋण	1,50,206 (36.8)	1,70,994 (34.6)	13.8
3. लीवरेज अनुपात	2.71	2.53	

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताओं के प्रति प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मासिक विवरणी ।

6.80 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआइ से प्राप्त विवरणियों पर आधारित जानकारी से पता चला है कि मार्च 2008 को समाप्त वर्ष में उनकी देयताओं/आस्तियों में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए निधि के स्रोत रूप में गैर जमानती ऋण एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत बना रहा,जिसके बाद जमानती ऋण और आरक्षित निधि एवं अधिशेष आते थे (सारणी VI.39)।

उधार राशियां

6.81 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा ली गई कुल उधार राशियां (जमानती और गैर-जमानती दोनों) मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 3,19,308 करोड़ रुपए थीं कुल देयताओं में जिनका हिस्सा 64.5 प्रतिशत था। जून 2009 को समाप्त तिमाही के दौरान कुल उधार राशियों में 3.4 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई जिसके परिणास्वरूप राशियां बढ़कर 3,30,288 करोड़ रुपए हो गईं (सारणी VI.40)।

सारणी VI.40: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	को समाप्त		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कंपनियों की संख्या	**189**	**234**	**232**
कुल देयताएँ	**4,08,705**	**4,94,673**	**5,08,026**
चुकता पूंजी	24,490 (6.0)	30,173 (6.1)	30,358 (6.0)
अधिमानी शेयर	4,573 (1.1)	4,311 (0.9)	3,835 (0.8)
आरक्षित निधि और अधिशेष	81,055 (19.8)	1,05,726 (21.4)	1,07,191 (21.1)
जमानती ऋण	1,21,082 (29.6)	1,48,314 (30.0)	1,48,576 (29.2)
बेजमानती ऋण	1,50,206 (36.8)	1,70,994 (34.6)	1,81,712 (35.8)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।

सारणी VI.41: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	समाप्त		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कंपनियों की संख्या	**189**	**234**	**232**
क) जमानती उधार राशियां	1,21,082 (44.6)	1,48,314 (46.4)	1,48,576 (45.0)
(i). डिबेंचर	44,439 (16.4)	49,078 (15.4)	49,530 (15.0)
(ii) बैंकों से प्राप्त ऋण	25,774 (9.5)	35,571 (11.1)	38,300 (11.6)
(iii) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,988 (2.2)	6,038 (1.9)	6,543 (20.0)
(iv) उपचित ब्याज	2,017 (0.7)	2,800 (0.9)	2,441 (0.7)
(v) अन्य	42,864 (15.8)	54,827 (17.2)	51,761 (15.7)
ख) बेजमानती उधार राशियां	1,50,206 (55.4)	1,70,994 (53.6)	1,81,712 (55.0)
(i) संबंधियों से ऋण	1,822 (0.7)	2,370 (0.7)	2,210 (0.7)
(ii) अंतर कंपनी जमाराशि	22,019 (8.1)	13,937 (4.4)	18,347 (5.6)
(iii) बैंकों से प्राप्त ऋण	46,243 (17.0)	43,880 (13.7)	43,464 (13.2)
(iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	2,956 (1.1)	6,038 (1.9)	6,543 (2.0)
(v) वाणिज्यिक पत्र	20,068 (7.4)	22,392 (7.0)	26,530 (8.0)
(vi) डिबेंचर	44,432 (16.4)	64,940 (20.3)	67,971 (20.6)
(vii) उपचित ब्याज	1,819 (0.7)	3,167 (1.0)	3,692 (1.1)
(viii) अन्य	10,847 (4.0)	14,270 (4.5)	12,955 (3.9)
ज्ञापन:			
कुल उधार राशियां	2,71,288	3,19,308	3,30,288
कुल देयताएं	4,08,705	4,94,673	5,08,026

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधारियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।

निधियों का नियोजन

6.82 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा निधियों के नियोजन की प्रवृत्ति पिछले वर्ष के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप बनी रही। जमानती ऋणों का हिस्सा निरंतर सर्वाधिक बड़ा (45.6 प्रतिशत) बना रहा जिसके बाद गैर जमानती ऋणों का हिस्सा 23.2 प्रतिशत था (सारणी VI.41)।

वित्तीय निष्पादन

6.83 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ ने 11,850 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जो मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ (8,705 करोड़ रुपए) की तुलना में 36.1 प्रतिशत अधिक था (सारणी VI.43)।

6.84 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के कुल आस्ति के प्रति सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत रहकर अपरिवर्तित रहा परंतु इसमें जून 2009 को समाप्त तिमाही में मामूली वृद्धि हुई है। कुल आस्ति के प्रति निवल एनपीए अनुपात मार्च 2008 को रहे 1.6 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2009 के अंत में 0.7 प्रतिशत पर आ गया था, तथापि, जून 2009 को समाप्त तिमाही में यह बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गया था (सारणी VI.44)।

4. प्राथमिक व्यापारी

6.85 सितंबर 2009 के अंत में 19 प्राथमिक व्यापारी थे जिनमें से 11 बैंक थे जो विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी कारोबार (बैंक-पीडी)कर रहे थे तथा शेष 8 भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45 Iए के अंतर्गत पंजीकृत एनबीएफसी के रूप में स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारी थे तथा मुख्यतया सरकारी प्रतिभूति

सारणी VI.42 : जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
जमानती ऋण	1,60,017 (44.7)	1,90,818 (45.6)	2,08,097 (47.8)
बेजमानती ऋण	88,783 (24.8)	97,287 (23.2)	90,556 (20.8)
आस्तियों की किराया खरीद	29,832 (8.3)	36,051 (8.6)	37,017 (8.5)
दीर्घावधि निवेश	53,856 (15.0)	64,316 (15.4)	65,879 (15.1)
चालू निवेश	25,758 (7.2)	30,360 (7.2)	33,670 (7.7)
कुल	**3,58,246**	**4,18,832**	**4,35,219**
ज्ञापन मदें :			
पूंजी बाजार एक्सपोजर	1,11,630	86,881	90,750
जिनमें से:			
इक्विटी शेयर	35,957	39,437	39,301

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।

कारोबार कर रहे थे। मॉर्गेन स्टेनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्रा.लि. तथा नोमुरा फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज प्रा.लि. को क्रमशः 20

सारणी VI.43: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कुल आस्तियां	4,08,705	4,94,673	5,08,026
कुल आय@	39,537 (9.7)	61,921 (12.5)	14,502 (2.9)
कुल व्यय @	27,291 (6.7)	44,271 (8.9)	10,948 (2.2)
निवल लाभ@	8,705 (2.1)	11,850 (2.4)	2,373 (0.5)

@ : संचयी।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।

सारणी VI.44: जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत)

मद	वर्ष के अंत में		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	3.1	3.0	3.3
कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में निवल अनर्जक आस्तिया	2.0	1.0	1.1
कुल आस्तियों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	2.3	2.3	2.5
कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	1.6	0.7	0.9

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी।

जुलाई 2009 तथा 7 दिसबर 2009 से प्राइमरी डीलर कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

6.86 वर्ष 2008-09 के दौरान पीडी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए। सर्वप्रथम गौण ऋण जारी करके बाजार से अधिक पूंजी प्राप्त करने में पीडी को सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा टियर-II और टियर-III की पूंजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए गौण लिखतें जारी किए जाते समय ब्याज दर स्प्रेड पर 200 आधार अंकों के कैप को हटा दिया गया है। अब प्राथमिक व्यापारियों को अपने निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्णीत कूपन दरों पर अधीनस्थ टियर-II और टियर-III बांडों को जारी करने अनुमति हो गई है। द्वितीय, स्टैंड अलोन पीडी को अनुमति दी गई कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान कीमतों की घटबढ़ से अपने वित्त को बचाए रखने के लिए अपनी 100 प्रतिशत चुकता पूंजी को परिपक्वता तक धारित (हेल्ड टू मैच्युरिटी) वर्ग में रखें । तृतीय, ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2009 दिनांक 28 अगस्त 2009 के संदर्भ में स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर (पीडी) को अनुमति दे दी गई है कि वे अपने खाते में, न कि ग्राहक के खाते में, हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) का कारोबार विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करते हुए करें। चतुर्थ, पीडी द्वारा कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार से प्राप्त की जानेवाली उधार राशियों, औसतन रिपोर्टिंग पखवाड़े में, की सीमा उनके एनओएफ के विद्यमान 200 प्रतिशत से बढ़ाकर पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में एनओएफ का 225 प्रतिशत कर दी गई है। पंचम, अस्थिर ब्याज दरों के

समय में प्राथमिक व्यापारियों की स्थिरता बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी गई। अन्य अनुमत कार्य करने की अनुमति चाहने वाले पीडी के लिए पहले के 100 करोड़ रुपए की तुलना में अब 250 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियां होनी चाहिए।

6.87 भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया पर गठित आंतरिक कार्यकारी दल (अध्यक्ष:एच.आर.खान)की संस्तुतियों, यथा-बोली प्रस्तुत करने और नीलामी परिणामों की घोषणा के बीच के अंतराल को कम करना,भौतिक रूप में बोली लगाने की सुविधा समाप्त करना और मात्र एनडीएस के माध्यम से ही प्रतियोगी बोलियां प्रस्तुत करना और गैर प्रतियोगी बोलियों के लिए बैंक/प्राथमिक व्यापारी(पीडी)द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित बोली लगाना,इन सभी को लागू किया जा चुका है। अब तक 2008-09 और 2009-10 में सरकार के उधार कार्यक्रम के जवाब में पीडी की हामीदारी आय में सतत वृद्धि हुई है (बॉक्स VI.2)।

पीडी का परिचालन और उनका निष्पादन

6.88 पीडी द्वारा 2008-09 के दौरान प्राथमिक बाजार में प्रस्तुत दिनांकित प्रतिभूतियों (3,49,393 करोड़ रुपए) की वास्तविक बोलियां अधिसूचित राशि (2,61,000 करोड़ रुपए) का 1.3 गुना थी जबकि पिछले वर्ष यह अधिसूचित राशि का 1.6 गुना थी।

6.89 राजकोषीय बिलों के मामले में पीडी की संचयी बोली प्रतिबद्धता प्रत्येक नीलामी में अधिसूचित राशि का 111 प्रतिशत थी। सामूहिक रूप से पीडी(बैंक पीडी को सम्मिलित करते हुए) द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बोलियों की राशि उनकी बोली प्रतिबद्धता की राशि 2,84,985 करोड. रुपए के मुकाबले 5,09,794 करोड़ रुपए थी जो 1.8 बिड कवर अनुपात में थी। स्वीकार की गई बोलियों की राशि 59.1 प्रतिशत के सफल अनुपात में 1,72,474 करोड़ रुपए थी।सभी पीडी ने वर्ष की दोनों छमाहियों में 40 प्रतिशत के न्यूनतम विनिर्दिष्ट सफलता अनुपात की प्राप्ति कर ली थी। राजकोषीय बिलों की प्राथमिक नीलामियों में पीडी का हिस्सा 2007-08 में रहे 51.7 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 के दौरान 60.5 प्रतिशत हो गया था।

6.90 राजकोषीय वर्ष 2008-09 के दौरान, बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गईं। पीडी,जिसमें बैंक-पीडी भी सम्मिलित हैं,ने 4,24,723 करोड़ रुपए की दिनांकित सरकारी प्रतिभतियों की हामीदारी करने का प्रस्ताव किया और बैंक ने 2,53,786 करोड़ रुपए स्वीकार किए जो अधिसूचित राशि के 97.2 प्रतिशत हिस्से को कवर करता था।

6.91 वर्ष 2008-09 के दौरान 2,61,000 करोड़ रुपए की दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की 56 प्राथमिक नीलामियों में से पीडी द्वारा 3,49,393 करोड़ रुपए के लिए बोलियां प्रस्तुत की गईं जो अधिसूचित राशि का 1.3गुणा थीं। पीडी को 1,11,094 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया और सफलता अनुपात 2007-08 में रहे 46.2 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 42.6 प्रतिशत हो गया। पीडी के संबंध में कुल भार पिछले वर्ष रहे 957 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 10,773 करोड़ रुपए था।दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार निर्गम में पीडी का हिस्सा वर्ष 2007-08 में रहे 46.2 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 42.6 प्रतिशत रह गया (सारणी VI.45)।

6.92 वर्ष 2008-09 के दौरान द्वितीयक बाजार का टर्नओवर (आउटराइट और रिपो दोनों ही) 26,17,283 करोड़ रुपए था। बाजार टर्नओवर के प्रति पीडी की हिस्सेदारी 2007-08 में रहे 16.1 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 12.8 प्रतिशत हो गई थी (सारणी VI.46)।

निधियों का स्रोत और उनका उपयोग

6.93 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान सात स्टैंड अलोन पीडी के समेकित तुलन पत्र के आकार में 5.3 प्रतिशत की मामूली कमी आई। मार्च 2008 के अंत में पीडी की संख्या नौ थी जो मार्च 2009 के अंत में घटकर सात हो गई तथा स्टैंड अलोन पीडी के रिजर्व और अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सामान्यतया दिसंबर तिमाही में हुए लाभ के विनियोजन के कारण थी। वर्ष के दौरान एक ओर जहाँ एबीएन एमरो सिक्युरिटीज इंडिया प्रा.लि.का अधिग्रहण 16 दिसंबर 2008 से उसके मालिकाना बैंक *एबीएन एमरो बैंक* द्वारा कर लिया गया,वहीं दूसरी ओर लेमैन ब्रदर्स को प्राथमिक

बॉक्स VI.2: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की हामीदारी

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) प्रणाली के उद्देश्यों के अनुसरण में पीडी से अपेक्षित है कि वे सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए नीलामियों की सहायता दिनांकित प्रतिभूतियों की हामीदारी करके और हामीदारी/बिडिंग प्रतिबद्धताओं को पूरा करके करें। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में भारतीय रिज़र्व बैंक की भागीदारी 1 अप्रैल 2006 से, केवल अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर, समाप्त कर दी गई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिभूति बाजार पर एक आंतरिक तकनीकी समूह का गठन किया गया जिसने बिडिंग प्रतिबद्धता की आंतरिक प्रक्रिया के पुनर्गठन की संस्तुति की जिसके लिए उसने प्राथमिक व्यापारियों के दायित्वों के लिए संशोधित कार्यविधि लागू करने का सुझाव दिया। नई योजना के अंतर्गत प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे पहले की बिडिंग प्रतिबद्धता और ऐच्छिक हामीदारी के स्थान पर प्रत्येक नीलामी में 100 प्रतिशत हामीदारी प्रतिबद्धता पूरी करे। हामीदारी की योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई। इस योजना की पुनरीक्षा 2007 में की गई और निर्णय किया गया कि एसीयू नीलामी में प्रत्येक पीडी के लिए न्यूनतम बिडिंग अपेक्षा एमयूसी की राशि के समतुल्य होगी।

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों संबंधी हामीदारी प्रतिबद्धता को समान रूप से दो भागों में - न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतियोगात्मक हामीदारी(एसीयू) बांटा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पीडी द्वारा प्रत्येक निर्गम की अधिसूचित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत की हामीदारी अधिदेशात्मक रूप से एकसमान की गई है या नहीं, प्रत्येक पीडी के एमयूसी की गणना की जाती है। एमयूसी के अंतर्गत हिस्सेदारी सभी पीडी के लिए एकसमान होगी, भले ही उनकी पूंजी अथवा उनके तुलनपत्र का आकार कुछ भी क्यों न हो। अधिसूचित राशि के बचे हुए भाग की हामीदारी एक अतिरिक्त प्रतियोगी हामीदारी (एसीयू) नीलामी के द्वारा की जाती है। एसीयू बिडिंग को प्रतियोगी बनाने के लिए एसीयू के तहत स्वीकृत राशि पर दिया जानेवाला कमीशन विभेदक (बहु-मूल्य) होता है जबकि एमयूसी राशि के लिए दिया जानेवाला कमीशन अंतरात्मक होता है। अधिसूचित राशि के 4 प्रतिशत अथवा अधिक के लिए एसीयू नीलामी में सफलताप्राप्त पीडी एसीयू नीलामी में स्वीकृत सभी बोलियों के भारित औसत दर पर एमयूसी कमीशन प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं जबकि 4 प्रतिशत से कम एसीयू नीलामी अथवा असफल रहे पीडी को एसीयू में सर्वाधिक न्यून तीन बोलियों के भारित औसत दर पर एमयूसी कमीशन प्राप्त होता है।

हामीदारी नीलामी में इस प्रकार से आबंटित राशि मुख्य नीलामी में पीडी के लिए न्यूनतम बिडिंग (बोली) दायित्व बन जाती है। पीडी के लिए प्रतिभूतियों संबंधी गतिविधि, यदि कोई हो, समान अनुपात आधार पर होती है जो मुख्य नीलामी में सफल बोलियां समायोजित करने के पश्चात प्रत्येक पीडी के हामीदारी दायित्व की राशि पर निर्भर करती है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान पीडी के लिए कुल गतिविधि पिछले वर्ष के 957 करोड़ रुपए के मुकाबले 10,773 करोड़ रुपए की थी। चालू वित्त वर्ष में सितंबर 2009 के अंत तक प्रतिभूतियों की कुल गतिविधि 6,050 करोड़ रुपए की थी।

2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितंबर 2009 के अंत तक) अवधि के दौरान प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उद्धृत हामीदारी शुल्क की तुलनात्मक स्थिति नीचे की सारणी में दी गई है।

सारणी: स्वीकृत हामीदारी कट-ऑफ शुल्क की तुलनात्मक स्थिति

	स्वीकृत हामीदारी कट-ऑफ मूल्य की सीमा पैसे/100 रुपए		
तिमाही	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
अप्रैल-जून	1.72-5.00	0.97-16.00	1.07 – 39.00
जुलाई-सितंबर	0.39-1.99	0.37-49.00	0.37 – 15.60
अक्तूबर-दिसंबर	0.39-1.45	0.46-15.98	–
जनवरी-मार्च	0.28-0.54	1.24-99.00	–

हामीदारी योजना ने पीडी द्वारा सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया और सुनिश्चित किया कि सरकारी प्रतिभूतियां पूरी तरह से बिक जाए। वर्ष 2006 से प्राथमिक नीलामियों में भारिबैं ने भाग लेना बंद किया और इसे संपूर्ण रूप से घरेलू ऋण बाजार के सुपुर्द कर दिया और तबसे ही केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों में पीडी का हिस्सा (कुल अधिसूचित राशि के प्रति पीडी से स्वीकृत बोलियों को अनुपात) बहुत महत्वपूर्ण बन गया है।

सारणी: सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में पीडी का निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

ब्यौरे	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5
अधिसूचित राशि	1,46,000	1,56,000	2,61,000	2,95,000
पीडी द्वारा प्रस्तुत बोलियां	2,02,462	2,54,253	3,49,393	3,61,325
पीडी की स्वीकृत बोलियां	64,727	72,122	1,11,094	1,17,023
बिड-कवर अनुपात	1.39	1.63	1.34	1.22
सफलता अनुपात (प्रतिशत)	31.97	28.37	31.80	32.39
पीडी का हिस्सा (प्रतिशत)	44.33	46.23	42.56	39.67

* सितंबर 2009 के अंत तक

वर्षों से किए जा रहे सुधार के उपायों के मध्यनजर भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार क्रमिक रूप से विस्तृत हो गया है जिसमें सक्षम नीलामी प्रक्रिया, एक सक्रिय द्वितीयक बाजार, 30 वर्षों तक के लिए चलनिधि यील्ड वक्र है और जिसके समर्थन में एक सक्रिय प्राथमिक बाजार प्रणाली कार्यरत है।

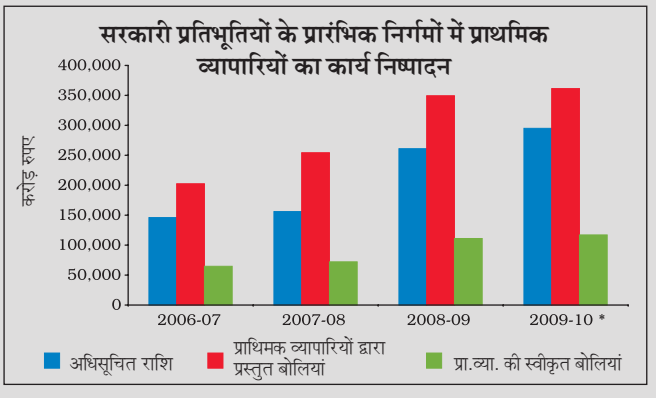

सारणी VI.45: प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2008	2009
1	2	3
खजाना बिल		
बोली वचनब्द्धता	1,04,385	2,84,985
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	3,18,201	5,09,794
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	3.0	1.8
स्वीकृत बोली	1,04,819	1,72,474
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	100.4	59.1
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	1,56,000	2,61,000
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	2,54,253	3,49,393
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	1.6	1.3
स्वीकृत बोली	72,122	1,11094
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	46.2	42.6

बाजार में सहभागिता करने से रोक दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2009 को स्टैंड अलोन पीडी की पूंजी निधि में 25.7 प्रतिशत की गिरावट आ गई। स्रोत पक्ष में जमानती ऋणों में 35.7 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई तथापि गैर-जमानती ऋणों में 41.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नियोजन पक्ष में पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में 3.7 प्रतिशत की कमी आई वहीं वाणिज्य पत्रों में निवेश में 2.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। कारपोरेट बांड में निवेश में 19.8 प्रतिशत (621करोड़ रुपए से घटकर 498 करोड़ रुपए) की गिरावट आई जो 2007-08 के दौरान हुई 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के सर्वथा विपरीत थी (सारणी VI.47)।

6.94 पीडी की कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में रहे 70 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 70. 9 प्रतिशत पर आ गया था। मार्च 2009 के अंत में म्यूच्युअल फंडों के इक्विटी में निवेशों में मार्च 2008 के अंत की तुलना में 85.3 प्रतिशत की भारी गिरावट आई।

पीडी का वित्तीय निष्पादन

6.95 वर्ष 2008-09 के दौरान पीडी द्वारा अर्जित आय में 2007-08 की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पीडी द्वारा वर्ष की तीसरी तिमाही में विद्यमान न्यून यील्ड का उपयोग कर उच्च लाभ दर्ज करने के कारण थी।(सारणी VI.48)।

6.96 वर्ष के दौरान ट्रेडिंग लाभ में वृद्धि और ब्याज व्यय में कमी को देखते हुए पीडी के लाभ में तीव्र वृद्धि हुई है। समग्र रूप से वर्ष के दौरान आरओए में तीव्र वृद्धि हुई है क्योंकि पीडी के

सारणी VI.46: द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अप्रैल-जून 2008	जुलाई-सितंबर 2008	अक्तू.-दिसं. 2008	जन.-मार्च 2009	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
एकमुश्त						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	1,38,895	1,65,252	2,78,915	2,13,125	7,96,187	6,37,768
बाजार पण्यावर्त	7,03,669	7,60,791	14,25,305	13,65,587	42,55,352	32,68,551
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	19.7	21.7	19.6	15.6	18.7	19.5
रिपो						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	3,39,292	3,41,826	5,16,341	6,23,637	18,21,096	24,00,106
बाजार पण्यावर्त	38,76,794	29,18,136	39,22,851	55,16,951	1,62,34,732	1,55,75,515
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	8.8	11.7	13.2	11.3	11.2	15.4
कुल						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	4,78,187	5,07,079	7,95,254	8,36,763	26,17,283	30,37,873
बाजार पण्यावर्त	45,80,463	36,78,927	53,48,156	68,82,538	2,04,90,084	1,88,44,065
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	10.4	13.8	14.9	12.2	12.8	16.1

सारणी VI.47: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5
निधियों के स्रोत	10,882	10,307	-19.7	-5.3
1. पूंजी	1,508	1,121	-27.8	-25.7
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	1,944	2,213	-37.3	13.8
3. ऋण (क+ख)	7,430	6,973	-11.2	-6.2
क) जमानती	4,580	2,945	17.1	-35.7
ख) बेजमानती	2,850	4,028	-36.1	41.3
निधियों का उपयोग	10,882	10,307	-19.7	-5.3
1. अचल आस्तियां	14	13	-80.5	-7.1
2. निवेश (क से ग)	8,291	7,891	-10.3	-4.8
क) सरकारी प्रतिभूति	7,584	7,305	2.3	-3.7
ख) वाणिज्यिक पत्र	86	88	-93.1	2.3
ग) कंपनी बांड	621	498	4.3	-19.8
3. ऋण और अग्रिम	429	959	-62.2	123.5
4. गैर चालू आस्तियां	0	0		
ईक्विटी, म्यूचुअल फंड *आदि*	150	22	-83.9	-85.3
अन्य*	1,998	1,422	-1.2	-28.8

* : अन्य में नकदी + बैंक शेष + उपचित ब्याज + मांग और मीयादी आस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

स्रोत: संबंधित प्राथमिक व्यापारियों के वार्षिक रिपोर्ट।

निवल लाभ में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई थी और औसत आस्ति में 24.5 प्रतिशत की गिरावट आई जिसके कारण 2007-08 में 15,039 करोड़ रुपए रही औसत आस्तियां 2008-09 में घटकर 11,348 करोड़ रुपए हो गईं (सारणी VI.49)।

सारणी VI.48: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09	प्रतिशत घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i से iii)	1,307	1,825	518	39.6
i) ब्याज और छूट	914	878	-36	-3.9
ii) कारोबारी लाभ	255	843	588	230.6
iii) अन्य आय	138	104	-34	-24.6
ख. व्यय (i+ii)	775	692	-83	-10.7
i) ब्याज	595	546	-49	-8.2
ii) प्रशासनिक लागत	180	146	-34	-18.9
कर पूर्व लाभ	532	1,133	601	113.0
करोत्तर लाभ	373	749	376	100.8
प्राथमिक व्यापारियों की संख्या $	9	7		

$: केवल स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी

स्रोत : प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)

6.97 स्टैंड अलोन पीडी की पूंजी पर्याप्तता निरंतर बनी रही। मार्च 2009 के अंत में एकल स्टैंड अलोन पीडी का सीआरएआर विनिर्दिष्ट न्यूनतम 15 प्रतिशत के ऊपर बना रहा । मार्च 2009

सारणी VI.49: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2007-08	2008-09
1	2	3
i) निवल लाभ	373	749
ii) औसत आस्तियां	15,039	11,348
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	2.5	6.6
iv) पूंजी निधि	3,611	3,464
v) प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	9	7

स्रोत : प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)

के अंत में स्टैंड अलोन पीडी का सीआरएआर सामूहिक रूप में 34.8 प्रतिशत था (सारणी VI.50)।

सारणी VI.50 : प्राथमिक व्यापरियों के चुनिंदा संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008	2009
1	2	3
कुल आस्तियां	10,882	10,307
इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	7,584	7,305
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां	70.0	70.9
सकल पूंजी निधि	3,611	3,464
सीआरएआर (प्रतिशत में)	38.0	34.8
चलनिधि समर्थन सीमा	3,000	3,000
प्राथमिक व्यापरियों की संख्या	9	7

स्रोत: प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)

5. निष्कर्ष

6.98 हाल के वित्तीय संकट ने एनबीएफआइ के समक्ष कम लागत पर निधियां जुटाने के मार्ग में समस्याएं खड़ी कीं जिसके कारण उन्हें अपनी आस्ति आधार के निधीयन के लिए गैर-जमानती ऋणों की ओर मुड़ना पड़ा। सीएफएसए 2009 ने परामर्श दिया है कि एनबीएफसी को कम लागत पर निधियाँ प्राप्त न होने की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि वैकल्पिक निधि स्रोत, यथा-सक्रिय कारपोरेट बांड मार्केट का विकास किया जाए। वैकल्पिक निधि स्रोत उनकी (एनबीएफसी)आस्ति आधार में वृद्धि और आस्ति विविधीकरण में सहायक सिद्ध होंगे। वर्तमान हालातों में एनबीएफसी की वृद्धि में एनबीएफसी-एनडी वृद्धि के मुख्य प्रेरक हैं तथापि महत्वपूर्ण स्वामित्व के अंतरण,बड़े अभिग्रहणों,जोखिम प्रबंधन,आंतरिक नियंत्रण और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी के लिए आपसी संबंधों के क्षेत्र में अंतरालों को पूरा करने के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु उचित संरचना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।